

प्रस्तावित - वि.जी.पू.वं. भ.दा.य.गो.के.वि.न.
डा.क.द.रा.धे.ने.उ.ने.के.लि.न.अ.सु.म.स.
प्रस्तावित-पञ्च.डा.भोपाल.ग.प.
वि.पू.मु./04 भोपाल-03-05.

पंजी.क्र.नं.क.भोपाल.डि.वी.जन
म.प्र.108-भोपाल/03-05.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5001

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 सितम्बर 2003—आश्विन 8, शक्र 1925

ऊर्जा विभाग

संरक्षण, पर्यटन, श्रम, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2003

नियम

कमरा.क्र.नं.क.भोपाल-17-तेरड-2003, मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4 सन्, 2001) की धारा 20 की उपधारा (1), (2) और (3), धारा 24 और धारा 56 की उपधारा (2) के साथ एतित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का स. 36) की धारा 131 की उपधारा (1), (2), (5), (6) तथा (7) और धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल के कृत्या, संपत्तियों, हितों, अधिकारों तथा दायित्वों का अंतरण करने तथा उन्हें राज्य सरकार में निहित करने तथा उन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य कंपनी, निगमित निकाय या प्राधिकारी में पुनः अंतरित और पुनः निहित करने तथा मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के कामिकों का किसी अन्य कंपनी, निगमित निकाय या प्राधिकारी में अंतरण विनियमित करने और उन नियमों तथा शर्तों को, जिन पर ऐसा अंतरण सहायित किया जाएगा, अवधारित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

- | | | | |
|----|---|-----|--|
| 1. | संक्षिप्त नाम,
विस्तार तथा
प्रारंभ. | (1) | इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विद्युत सुधार प्रथम अंतरण
योजना नियम, 2003 है। |
| | | (2) | इसका विस्तार, संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा। |
| | | (3) | ये ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे, जो कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा
नियत करे तथा मित्र-मित्र उपबंधों और मित्र-मित्र अंतरणों के लिए
मित्र-मित्र तारीखें नियत की जा सकेंगी, जैसा कि उल्लेखित किया
जाए। |

2. आस्तियां तथा दायित्वों को लागू होना
- ये नियम राज्य के भीतर तथा बाहर मंडल की आस्तियां, सम्पत्तियां, हितों, अधिकारों तथा दायित्वों, कार्यवाहियों तथा कार्मिकों को लागू होंगे।
3. परिभाषाएं
- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो,
- (क) इन योजना नियमों के प्रयोजन के लिए 'अभिनियम' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क 4 सन् 2001);
- (ख) 'मंडल' से अभिप्रेत है विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का सं. 54) की धारा 5 के अधीन गठित मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल;
- (ग) 'केंद्रीय अधिनियम' से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 36);
- (घ) 'कंपनी' से अभिप्रेत है कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन बनाई गई तथा रजिस्ट्रीकृत कंपनी;
- (ङ) 'आयोग' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क 4 सन् 2001) की धारा 3 के अधीन गठित तथा केंद्रीय अधिनियम की धारा 82 के अधीन मान्य मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग;
- (च) 'अंतरण की तारीख' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वह तारीख जिससे मंडल के कृत्यों, सम्पत्तियों, हितों, अधिकारों तथा दायित्वों, कार्यवाहियों या कार्मिकों का अंतरण अधिनियम तथा इन योजना नियमों के अनुसार संबंधित अंतरिती को प्रभावी होगा;
- (छ) 'वितरण कंपनी' से अभिप्रेत है विद्युत के वितरण और फुटकर प्रदाय के लिए डिस्कॉम-1, डिस्कॉम-2 तथा डिस्कॉम-3;
- (ज) 'डिस्कॉम-1' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, एक कंपनी, जो मध्यप्रदेश राज्य के जबलपुर, सीपा एण्ड तागर समूहों में विद्युत वितरण एवं फुटकर विद्युत प्रदाय की जिम्मेदारी के मुख्य उद्देश्य से निर्गमित की गई हो;
- (झ) 'डिस्कॉम-2' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, एक कंपनी, जो मध्यप्रदेश राज्य के भोपाल, होशंगाबाद, चम्बल तथा ग्वालियर समूहों में विद्युत वितरण एवं फुटकर विद्युत प्रदाय की जिम्मेदारी के मुख्य उद्देश्य से निर्गमित की गई हो;
- (ञ) 'डिस्कॉम-3' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, एक कंपनी, जो मध्यप्रदेश राज्य के इंदौर तथा उज्जैन समूहों में विद्युत वितरण एवं फुटकर विद्युत प्रदाय की जिम्मेदारी के मुख्य उद्देश्य से निर्गमित की गई हो;
- (ट) 'जेनको' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, एक कंपनी, जो मध्यप्रदेश राज्य में विद्युत उत्पादन के मुख्य उद्देश्य से निर्गमित की गई हो;
- (ठ) 'दायित्वों में वे सभी दायित्व, ऋण, शुल्क, व्ययताएं और अन्य बहिर्गामी आते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार केवार्तिक दायित्व एवं वाणिज्यिक उद्देश्यों और आभारित्व दायित्व सम्मिलित हैं, जो कि इन नियमों के अधीन अंतरित उपकरणों के केंद्रों में अंतरण की तारीख के पूर्व कारबार के संबंध में उत्पन्न हों;
- (ड) 'कार्मिक' से अभिप्रेत है मंडल के कर्मचारी : कर्मचारी कर्मचारियों और अधिकारियों, जो किसी भी नाम से जाने जाते हों और जिनमें मंडल में भर्ती के लिए प्रशिक्षणार्थी, यदि कोई हो, तथा वे, जो अन्य समूहों या समूहों में मंडल से प्रतिनियुक्ति पर हैं, भी सम्मिलित हैं;
- (ढ) 'कार्यवाही' से अभिप्रेत है किसी भी प्रकार की कार्यवाही जिसमें दावे, अपील, शिकायतें, वाणिज्यिक, आर्थिक, सुलह वाणिज्यिक सम्मिलित हैं, बाह्य वे शिविल, मण्डल या अन्यथा हो;

- (ग) 'संपत्ति' में सम्मिलित है किसी भी प्रकार के और कहीं भी स्थित पावर सिस्टम, संयंत्र, मशीनरी, भूमि, भवन, कार्यालय, गैरार, फर्नीचर, फिक्सचर, वाहन, आवासीय मकान तथा विश्रामगृह और उनसे संबंधित तथा उनसे युक्त सुविधायें और संस्थापनाएँ और अन्य अंगम तथा स्थावर अस्तित्वाँ, नकद राशि बैंक में जमा केश, विनिधान, वही ऋण, स्थूल और अस्थूल मूल एवं अमूर्त अस्तित्वाँ, प्रसुविधाएँ अनुज्ञापिका, सहनशोषा, प्राधिकार, पंजीकरण पेटेंट, ट्रेड मार्क, और प्रत्येक स्वरूप प्रगति तथा प्रकार की शक्तियाँ, विशेषाधिकार, स्वतंत्रताएँ, सुखाधिकार, लाभ, कायदे और अनुभोदन, संपिदाएँ वितेख, योजनाएँ, कंपन करारनामा और अन्य लिखतें और हित ;
- (त) 'अनुसूची' से अभिप्रेत है इन योजना नियमों से संलग्न अनुसूचियाँ ;
- (थ) 'राज्य' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य ;
- (द) 'ट्रांसको' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, एक निगमित कंपनी जिसका मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश राज्य में विद्युत पारेषण की जिम्मेदारी होना है ;
- (घ) 'अंतरिती' से अभिप्रेत है यद्यपि ट्रांसको या जेनको या डिस्काम-1 या डिस्काम-2 या डिस्काम-3 जिरा में मण्डल के कृत्य और जिम्मेदारी, इन योजना नियमों के साथ पठित अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निहित हैं ;
- (न) 'उपक्रम' (अंडरटेकिंग) से अभिप्रेत है मण्डल के कृत्य तथा सम्पत्ति का/के ब्याक, हित, प्राधिकार और दायित्व उस सीमा तक तथा रीति में, जिसमें वे उपक्रम के माग के रूप में विनिर्दिष्ट हों एवं ऐसी अन्य सम्पत्तियाँ, हित, अधिकार और दायित्व, जो इन योजना नियमों में कृष्णों के संबंध में विनिर्दिष्ट हैं ;
- (प) इन योजना नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जो अधिनियम तथा केन्द्रीय अधिनियम में परिभाषित हैं, परन्तु जिन्हें इन योजना नियमों में विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा, जो उनके लिए अधिनियम तथा केन्द्रीय अधिनियम में दिया गया है ।
- 4 (1) मण्डल के उपक्रमों को निम्नलिखित अनुसूचियों में वर्गीकृत किया गया है :-
- (क) उत्पादन उपक्रम, जैसा कि अनुसूची - "क" में उपवर्णित है ;
- (ख) पारेषण उपक्रम, जैसा कि अनुसूची - "ख" में उपवर्णित है ;
- (ग) डिस्काम -1 के लिए वितरण उपक्रम, जैसा कि अनुसूची - "ग" में उपवर्णित है ;
- (घ) डिस्काम -2 के लिए वितरण उपक्रम, जैसा कि अनुसूची - "घ" में उपवर्णित है ;
- (ङ) डिस्काम -3 के लिए वितरण उपक्रम, जैसा कि अनुसूची - "ङ" में उपवर्णित है ; तथा
- (च) उपक्रम, जैसा कि अनुसूची - "च" में उपवर्णित है ।
- मण्डल के उपक्रमों का वर्गीकरण

- (2) यदि उपनियम (1) के अधीन उपक्रम की आरंभियाँ मण्डल द्वारा ली गई वित्तीय सहायता या बाध्यता के के लिए तृतीय पक्षकारों के कक्ष में प्रतिभूति दस्तावेजों या उद्धार के बाध्यता हैं और आरंभियों से संबंधित दायित्व विभिन्न उपक्रमों में वर्गीकृत किये जाने हैं, तो इस उद्देश्य के लिये राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसी सम्पत्तियाँ, आरंभियों और अधिकारों द्वारा प्रतिभूत दायित्वों का विभाजन विभिन्न उपक्रमों के बीच कर सकेगी और ऐसे विभाजन पर प्रतिभूति केवल विभाजित दायित्वों की सीमा तक लागू होगी।
5. राज्य को संघर्ष का अंतरण (1) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली अंतरण की तारीख को या जो अनुसूची 'अ' में यथा विनिर्दिष्ट पंचत की संपत्तियाँ तथा समस्त हित, अधिकार तथा दायित्व, इन योजना नियमों के अधीन अंतरण योजना के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को अंतरित हो जाएंगे और तबसे निर्दिष्ट हो जाएंगे।
- (2) उपनियम (1) की कोई भी बात कार्मिकों के संबंध में तथा कार्मिकों से संबंधित मामलों के संबंध में, जिनमें वैधानिक देय जैसे वेतन, मजदूरी, उपदान (ग्रैजुटी), पेंशन, भविष्यनिधि, प्रतिभूत, टर्मिनल तथा सेवानिवृत्ति फायदे सम्मिलित हैं, अधिकारों, उत्तरदायित्व, दायित्वों तथा बाध्यताओं को लागू नहीं होंगे और उनका निपटारा इन योजना नियमों के नियम 7 में उपबधित रीति में किया जाएगा।
6. उपक्रम का राज्य सरकार द्वारा अंतरण (1) अनुसूची 'क' में यथा उपवर्णित उत्पादन उपक्रम के भाग रूप उपक्रम अंतरण की ऐसी तारीख को तथा से, जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अधिनियम तथा इन योजना नियमों में विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अधीन 'अधिनियम-1' में अंतरित और निहित हो जाएंगे।
- (2) अनुसूची 'ख' में यथा उपवर्णित पारेषण उपक्रम के भाग रूप उपक्रम अंतरण की ऐसी तारीख को तथा से, जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अधिनियम तथा इन योजना नियमों में विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अधीन 'अधिनियम-1' में अंतरित और निहित हो जाएंगे।
- (3) अनुसूची 'ग' में यथावर्णित वितरण उपक्रम के भाग रूप उपक्रम अंतरण की ऐसी तारीख को तथा से, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अधिनियम तथा इन योजना नियमों में विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अधीन 'अधिनियम-1' में अंतरित और निहित हो जाएंगे।
- (4) अनुसूची 'घ' में यथावर्णित वितरण उपक्रम के भाग रूप उपक्रम अंतरण की ऐसी तारीख को तथा से, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अधिनियम तथा इन योजना नियमों में विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अधीन 'अधिनियम-2' में अंतरित और निहित हो जाएंगे।
- (5) अनुसूची 'ङ' में यथावर्णित वितरण उपक्रम के भाग रूप उपक्रम अंतरण की ऐसी तारीख को तथा से, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अधिनियम तथा इन योजना नियमों में विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अधीन 'अधिनियम-3' में अंतरित और निहित हो जाएंगे।
- (6) अनुसूची 'च' में यथावर्णित उपक्रमों या संयंत्रों तथा संयंत्रों को राज्य सरकार के आगामी आदेश पर्यंत मंडल द्वारा प्रतिधारित किया जाएगा।

- (7) इन योजना नियमों के उपनियम (1) से (6) तक के विभागों के अनुसार उपक्रमों के अंतरण तथा निहित होने पर तथा अन्यथा उपबंधित के शिवाय संबंधित अंतरिती, अंतरण की तारीख पर विद्यमान या प्रभावशील उस अंतरित किए गए संबंधित उपक्रमों से संबंधित सभी कृत्यों, सौदेदाओं, अधिकारों, विलेखों, योजनाओं, कंव-पत्रों, कंशरनामों एवं किसी भी प्रकार की लिखतों के लिए जिनमें मंडल एक पत्रकार था, उसी रीति में विभेदित होगा जैसा कि मंडल अंतरण की तारीख के तुरंत पहले जारी था और वे संबंधित अंतरिती के विलुप्त या उसके पक्ष में प्रवृत्त तथा प्रभावशील रहेंगे और वे उसी प्रकार प्रभावी रूप से प्रवृत्त रहेंगे जहां तक वे, माना मंडल के बजाए संबंधित अंतरिती एक पत्रकार रहा था ।
- (8) इन योजना नियमों के निबंधों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित तारीख से उपक्रमों का अंतरितियों को अंतरण एवं निहित किया जाना इस बात के होते हुए भी अंतरण की तारीख को तुरंत प्रभावशील होगा कि ऐसे उपक्रम का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है और बाद की तारीख में निर्धारित किया जाएगा ।
- (9) अंतरितियों को अंतरित की जाने वाली अस्तित्वों का मूल्य, निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधारों पर निर्धारित किया गया उचित मूल्य होगा:-
- (एक) राजस्व अर्जन क्षमता ; या
- (दो) अस्मयित प्रतिस्थापन मूल्य ; या
- (तीन) पुस्तकीय मूल्य (बुक वैल्यू) ।
- (10) अंतरितियों की तारीख बिलेंस शीट को राज्य सरकार द्वारा इन योजना नियमों के नियम 10 में उल्लिखित अन्तिम (प्रारंभिक) कालावधि को दौरान किसी भी समय अंतिम रूप दिया जा सकेगा तथा अधिसूचित किया जा सकेगा ।
- (11) राज्य सरकार, इस प्रयोजन हेतु जारी आदेश द्वारा किसी भी समय, इन योजना नियमों के नियम 10 में उल्लिखित अन्तिम (प्रारंभिक) कालावधि के दौरान किसी भी समय अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों में संशोधन, फेरफार, उपंतरण कर सकेगी, उनमें जोड़ सकेगी या उनमें से बच कर सकेगी या अन्वय परिवर्तन कर सकेगी ।
- (12) कार्मिकों का अंतरण , केन्द्रीय अधिनियम की धारा 133 और अधिनियम की धारा 74 में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों को अधीन होगा ।
- (13) नियम 6 के अधीन विधि उपक्रमों के अंतरण हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंतरण की तारीख पर मंडल के कार्मिक यथास्थिति, जेनको, डिस्काम-1, डिस्काम-2, डिस्काम-3 की सेवाओं में जो जहाँ कार्यरत हैं, के आधार पर सौंपे जाएंगे, अर्थात् राज्य सरकार के आगामी आदेश पर्यन्त वे अंतरण की तारीख को जहाँ पदस्थापित हैं, उस स्थान पर कार्य करते रहेंगे ।
- (14) दो या दो से अधिक अनुसूचियों में वर्गीकृत उपक्रमों के संबन्ध में मंडल में सेवा प्रदान कर रहे कार्मिकों को, राज्य सरकार समग्र-समय पर आदेश जारी करके विनिर्दिष्ट अनुसूची के अधीन वर्गीकृत उपक्रमों को सौंपे जाने के निदेश दे सकेगी और तदुपरांत ऐसे कार्मिक सम्स्त उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिये ऐसे उपक्रमों की सेवाओं में सौंप दिये गए समझे जाएंगे ।

कार्मिकों का अंतरण

- (3) उपरोक्त उप-नियम (1) एवं (2) के अधीन कार्मिकों का अंतरिती को सौंपा जाना तब तक जारी रहेगा, जब तक कि कार्मिक, अधिनियम के तथा इन योजना नियमों के उपबंधों तथा राज्य सरकार द्वारा इन योजना नियमों के अधीन जारी किये जाने वाले आवेदों के अनुसार विशिष्ट अंतरिती की सेवाओं में आमंत्रित नहीं हो जाते।
- (4) राज्य सरकार, नियम 10 में वर्णित अनतिम कासनामि के भीतर, जेनको, ट्रांसको, डिस्कामो और मण्डल के परामर्श से, कार्मिकों की उपयुक्तता योग्यता तथा अनुभव, शिक्षा की संख्या और स्वरूप तथा अन्य सुसंगत बातों पर विचार करते हुए कार्मिकों के किसी अंतरिती में अंतरण व स्थायी आमेलन को अतिम रूप देगी और ऐसे उपयुक्त आदेश जारी करेगी, जैसे कि वह ऐसे स्थायी आमेलन के लिए ठीक समझे।
- (5) राज्य सरकार, उपरोक्त उपनियम(4) के प्रयोजन के लिये, जेनको, ट्रांसको, डिस्कामो और मण्डल के परामर्श से, -
- (क) कार्मिकों से, अंतरिती में उनके अंतरण एवं आमेलन के संबंध में अन्यायपूर्ण प्राप्त करने के लिए ; तथा
- (ख) ऐसे अंतरण एवं आमेलन पर ऐसे समय के भीतर, जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनियमित करे, ऐसे अंतरण तथा आमेलन पर सिफारिश करने के लिए एक समिति, जैसा कि राज्य सरकार उपयुक्त समझे, गठित कर सकती है।
- (6) राज्य सरकार, इस प्रयोजन के लिए नियुक्त की गई समिति को सिफारिश पर विचार करने की पश्चात् कार्मिकों के अंतरिती में अंतरण तथा स्थायी आमेलन पर विनिश्चय करेगी और कार्मिकों के ऐसे अंतरण और स्थायी आमेलन के लिए आदेश जारी करेगी।
- (7) अतिम रूप दे दिए जाने पर तथा उपनियम (6) के निबंधों को अनुसार आदेश जारी होने पर कार्मिक, उन आदेशों के अनुसार, जो कि इस प्रयोजन के लिए जारी किए जाएं, राज्य सरकार या मंडल या अपारिती अथवा फिरती अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसने कार्मिक भी सम्मिलित हैं, किए जाने वाले किसी और कार्य, विलेख या बात को बिना पद, वेतनमान या वरिष्ठता में संबंधित अंतरिती की सेवा का भंग हो जाएंगे।
- (8) अधिनियम और इन योजना नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतरिती, इन योजना नियमों के अधीन उसे अंतरित हुए कार्मिकों की सेवा शक्तों को शक्ति करने वाले विनियमों को उपान्तरित कर सकेगा, अथवा नए विनियम बना सकेगा किन्तु अंतरण के प्रभावी होने की तारीख के पश्चात् उनकी पदश्रेणी, वेतनमान, वेतन, भत्तों तथा अन्य धन संबंधी प्रसुविधाएं, जिनमें टर्मिनल प्रसुविधाएं आदि भी सम्मिलित हैं, अंतरण के ठीक पूर्व उन्हें लागू उक्त प्रसुविधाओं से किसी भी रूप में कम नहीं होंगी।

- (9) सम्बन्धित अंतरिती, समस्त वैधानिक और अन्य योजनाओं के तथा नियोजन से संबंधित उन मामलों के, जिनमें कि प्रोविडेंट फण्ड, ग्रेच्युटी, फण्ड, पेंशन और कोई अन्य अधिवार्षिकी फण्ड अथवा कार्मिकों के फायदे के लिए सृजित किया गया अथवा विद्यमान कोई अन्य विशेष फण्ड सम्मिलित है, सम्बन्ध में, समस्त प्रयोजनों के लिए मंडल के स्थान पर हो जाएगा, तथा ऐसे किसी अथवा समस्त मामलों के संबंध में मंडल के समस्त अधिकार, शक्तियां और बाध्यताएं, संबंधित अंतरिती की हो जाएंगी और कार्मिकों की सेवाएं इन योजना नियमों के लागू होने के प्रयोजनों के लिए निरन्तर की गई सेवाएं समझी जाएंगी।
- (10) राज्य सरकार, पेंशन निधिओं तथा कार्मिकों से संबंधित आम निधियों में, अंतरितीयां द्वारा उस सीमा तक निधि की समुचित व्यवस्था करने के लिए, जहां तक कि मंडल से कार्मिक के अंतरण की तारीख को उनमें जमा न हो, समुचित इन्तजाम अधिसूचित करेगी, जिनमें उन संबंधित अंतरितीयां द्वारा, जिन्हें कि ये कार्मिक अंतरित किए गए हों, अंतरण की तारीख के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को देय राशिओं के भुगतान भी सम्मिलित है और उस समय तक ऐसे भुगतान मंडल द्वारा सम्यक् रूप से किए जाएंगे।
- (11) अंतरण की तारीख को मण्डल के विद्यमान पेंशनरों को देय सेवात (टर्मिनल) प्रसुविधाओं हेतु निधि की व्यवस्था करने और देय भुगतान करने के लिये, राज्य सरकार समुचित इन्तजाम अधिसूचित करेगी और उस समय तक ऐसे भुगतान मण्डल द्वारा किये जाएंगे।
इस उपखण्ड के प्रयोजन के लिए यह :-
- (एक) "विद्यमान पेंशनर" से अभिप्रेत है, ऐसे सभी व्यक्ति, जो अंतरण की तारीख को मण्डल से पेंशन पाने के पात्र हैं और उसमें कार्मिकों के परिवार के सदस्य भी सम्मिलित हैं; और
- (दो) "सेवान्त प्रसुविधाओं" से अभिप्रेत है ग्रेच्युटी, पेंशन, मरगाई एवं अन्य लागू राहत, चिकित्सा फायदे और लागू अन्य फायदे, जिनमें उक्त फायदों का मण्डल में प्रचलित रीति से तत्काल समुचित पुनरीक्षण का अधिकार भी सम्मिलित होगा।
- (12) उपरोक्त उपनियम (9), (10) और (11) के उपबंध, अंतरण की तारीख को मण्डल के विद्यमान कार्मिकों और विद्यमान पेंशनरों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य कार्मिकों पर लागू नहीं होंगे। अंतरिती द्वारा मर्ती किए गए और नियुक्त किये गये सभी कार्मिक, अंशदायी भविष्य निधि योजना से अथवा किसी अन्य समुचित योजना से, जिसे कि संबंधित अंतरिती इस प्रयोजन के लिए स्थापित करे, शासित होंगे, न कि उपरोक्त उपनियम (9), (10) और (11) के अंतर्गत विद्यमान कार्मिकों और विद्यमान पेंशनरों हेतु लागू पेंशन योजना से।
- (13) यथास्थिति मंडल से अंतरिती को अथवा ऐसे अंतरिती से किसी अन्य अंतरिती को अंतरित किसी कार्मिक के विरुद्ध अंतरण की तारीख के पूर्व से लंबित समस्त कार्यवाहियां, जिनमें अनुशासनिक कार्यवाहियां भी सम्मिलित हैं अथवा जो, अंतरण की तारीख से पूर्व किए गए कवायद, धूक अथवा किसी कार्य के किए जाने अथवा न किए जाने में सम्बन्धित हों, समाप्त नहीं होंगी और संबंधित अंतरिती द्वारा जारी रखी जा सकेंगी।

- (14) अंतरिमियों को अंतरिम वर्गिक, सम्बन्धित अंतरिमियों को मांग, अन्तरण की तारीख को बकाया तयार, अपिसो तथा अन्य शोध राशियों को पुनर्गठन करने अथवा पुन बाधताओं का अन्यथा चलन करने के लिए भिन्नका उन्होंने मंडल को लिए जिम्मा लिया है। उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर अंतरिमियों के साथ हुए करार के अधीन समझे जाएंगे, जो कि मंडल के साथ किए गए ठहराव में अंतर्विष्ट हैं।
- (15) इन योजना नियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बात अंतरण की तारीख को मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य संगठन के कार्मिकों पर लागू नहीं होगी परन्तु ऐसे कार्मिक सम्बन्धित अंतरिमियों/अन्तरिमियों में जिनकी सेवाओं में कोई सीमा नहीं है, जो जहाँ है के अन्तर पर अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अन्यथा प्रतिनियुक्ति पर बने रहेंगे।
४. तीसरे पक्ष के अधिकारों और बाधताओं का निर्दिष्ट होना
- अधिनियम तथा इन योजना नियमों के उपक्रमों के अनुसार अन्तरण प्रभावी हो जाने पर सम्बन्धित व्यक्तियों के, (जिनमें निगमित निकाय, कितोय संस्थाएँ, उद्योग देने वाले इत्यादि सम्मिलित हैं) अधिकार और सम्बन्धित तत्त्व अंतरिमियों तक निर्दिष्ट हो जाएंगे, निम्नलिखित कि वे अंतरिम किए गए हों और किसी ऐसे विवेक, दस्तावेज, लिखत, अनुबंध अथवा ठहराव में, जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा मंडल से किया गया हो, अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, वह राज्य सरकार, मण्डल अथवा किसी अन्य अन्तरिमियों के विरुद्ध किसी अधिकार अथवा हित का दावा नहीं करेगा।
५. निम्नलिखित कार्य, कार्यवाहियाँ, इत्यादि
- (क) अन्तरण की तारीख को मंडल द्वारा या उनके विरुद्ध लिखित समस्त कार्यवाहियाँ, चाहे वे कितनी भी स्वरूप की हों, इन योजना नियमों के अधीन अन्तरण के कारण समाप्त नहीं होगी अथवा रोक नहीं जाएगी अथवा अन्यथा किसी रूप में प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगी और वे कार्यवाहियाँ, इन योजना नियमों और उनके अधीन जारी आदेशों के अनुसार उस अंतरिमियों द्वारा या उसके विरुद्ध, जिसमें कि वे सीपी गई हों, जारी रखी जा सकेंगी, अग्रसर की जा सकेंगी और प्रवर्तित की जा सकेंगी।
- (ख) ऐसी कार्यवाहियाँ जहाँ सीमा में और उसी सीमा तक जारी रखी जा सकेंगी, जहाँ तक कि यदि इन योजना नियमों में विनिर्दिष्ट अन्तरण नहीं हुए होते तो वे मण्डल द्वारा अथवा उसके विरुद्ध जारी रहतीं, अग्रसर होती और प्रवर्तित की जातीं।
10. सम्पत्ति, अधिकार, शक्तियों और कार्यवाहियों के प्रकीर्ण और अन्तरण का प्रथम बार में अन्तर्गत (प्राचीनता) होना
- (1) इन योजना नियमों के अधीन, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी अन्य आदेश द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, उपक्रमों का, जिसमें कार्मिक भी सम्मिलित हैं, वर्गीकरण और अन्तरण अन्तिम (प्राचीनता) होगा और अन्तरण की तारीख से बारह मास तक अवसान हो जाने पर अन्तिम होगा।

- (2) राज्य सरकार अंतरण की तारीख से बारह मास की कालावधि के भीतर, किसी भी समाप्त आधेसूचित किए जाने वाले आदेश द्वारा अंतरण के निबन्धनों और शर्तों को, जिनमें अंतरण में सम्मिलित मदें भी सम्मिलित हैं, संशोधित कर सकती, उनमें फेरफार कर सकती, उन्हें उपान्तरित कर सकती, उनमें जोड़ सकती, कम कर सकती, उनमें से लोप कर सकती, अथवा उनमें अन्यथा परिवर्तन कर सकती और ऐसी सम्पत्तियों, हितों, अधिकारों, दायित्वों, कार्मिकों और कार्यवाहियों को, जो एक अंतरिणी के उपक्रम का मागरूप हैं, किसी अन्य अंतरिणी अथवा मंडल अथवा राज्य सरकार को ऐसी रीति में तथा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी कि राज्य सरकार समुचित समझे, अन्तरित कर सकती ।
- (3) अंतरण की तारीख से बारह मास की कालावधि का अवसान हो जाने पर और राज्य सरकार द्वारा दिए गए किन्हीं अन्य निदेशों के अधीन रहते हुए, योजना नियमों के अनुसार किए गए उपक्रमों, सम्पत्तियों, हितों, अधिकारों, दायित्वों, कार्मिकों और कार्यवाहियों का अन्तरण अन्तिम हो जाएगा ।
11. इन योजना नियमों के अधीन अंतरण, राज्य सरकार द्वारा इन योजना नियमों और इन योजना नियमों के निबन्धनों के अधीन जारी आदेशों को प्रकाशित कर दिए जाने की कार्यवाही के अनुसरण में और इन योजना नियमों के निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार, मण्डल, अंतरिणियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले किसी भी कृत्य विलेख अथवा बात के बिना कार्यान्वित और प्रभावी होगा ।
- विधि के प्रवर्तन द्वारा अन्तरण
12. (1) अंतरिणी, मण्डल की ओर से तथा उसके अभिकर्ताओं के रूप में, उन्हें सौंपे गए कृत्य उस समय तक करते रहेंगे तथा कारबार सक्षम क्रियाकलापों का जिम्मा लिए रहेंगे, जब तक कि राज्य सरकार अंतरिणी को, मंडल से स्वतंत्र रूप में उनकी स्वयं की ओर से ऐसे कृत्यों को करने तथा क्रियाकलापों का जिम्मा लेने के लिए प्राधिकृत करने वाली अधिसूचना जारी न कर दे ।
- (2) राज्य सरकार, ऐसे एक या एक से अधिक अंतरिणियों में सम्मेलन में समय-समय पर ऐसी अधिसूचना जारी कर सकती, परन्तु ऐसी समस्त अधिसूचनाएँ, नियम 10 में यथापिनिर्दिष्ट अन्तिम (प्रावीजनन) कालावधि समाप्त होने के पूर्व जारी की जाएगी ।
- अन्तिम (प्रावीजनन) कालावधि के दौरान अंतरिणियों के अधिकार और शक्तियाँ
13. (1) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि इन योजना नियमों के अधीन किए गए अंतरणों के बारे में कोई शंका, विवाद, मतभेद अथवा वाद-विषय उत्पन्न हो तो उस पर राज्य सरकार का निष्पक्ष अंतिम होगा और सभी पक्षकारों पर बंधनकारी होगा ।
- (2) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इन योजना नियमों को संशोधित कर सकती और अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले ऐसे उपबन्ध कर सकती, जैसे कि इन योजना नियमों के अधीन अंतरणों को कार्यान्वित करने में उद्भूत होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होते हों ।
- राज्य सरकार का निष्पक्ष अंतिम होगा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धीरज माथुर, सचिव

अनुसूची - 'क'**उत्पादन उपक्रम**

उत्पादन उपक्रम में विद्युत के उत्पादन से संबंधित मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की आस्तियां दायित्व तथा कार्यवाहिया समाविष्ट होंगी जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं किन्तु उन तक ही सीमित नहीं हैं :-

एक- विद्यमान विद्युत केन्द्र (पावर स्टेशन)**तापीय -**

क सतपुड़ा विद्युत उत्पादन केन्द्र के विद्युत गृह क्रमांक -II 1 X 200 मेवा तथा 1 X 210 मेवा तथा विद्युत गृह क्रमांक -III 2 X 210 मेवा की उत्पादन इकाइयां तथा उनसे सम्बद्ध एवं संबंधित उपकरण यथा जनरेटर, टरबाइन, वायलर, कन्डेंसर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसीपिटेटर, नियंत्रक(कंट्रोलर्स) एवं इन्स्ट्रुमेंटेशन, रेलवे साइडिंग, कोल हैंडलिंग सिस्टम, ऐश हैंडलिंग सिस्टम, राखड़ बांध, कच्चा जल प्रदाय तथा शोधन प्रणाली, डी.एम. वाटर प्लांट, द्वितीयक तेल ईंधन संग्रहण सुविधायें तथा उसका हैंडलिंग सिस्टम, स्विच यार्ड जिसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सर्विस ट्रांसफार्मर, सहायक इकाई के ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर उच्च दाब तथा निम्न दाब रिवरनिंग नियंत्रण तथा सुरक्षा तंत्र ओवरहेड क्रैन, चिमनी, गंडार, अतिरिक्त कलपुर्ज, खपने वाला माल, कच्चा माल आदि तथा चल रहे कार्य सम्मिलित हैं।

ख बिरसिंहपुर विद्युत उत्पादन केन्द्र की 210 मेगावाट की क्षमता वाली 4 उत्पादन इकाइयां प्रत्येक 210 मेवा क्षमता की तथा उनमें से प्रत्येक सम्बद्ध एवं संबंधित उपकरण जैसे जनरेटर, टरबाइन, वायलर, कन्डेंसर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसीपिटेटर, नियंत्रक(कंट्रोलर्स) एवं इन्स्ट्रुमेंटेशन, रेलवे साइडिंग, कोल हैंडलिंग सिस्टम, ऐश हैंडलिंग सिस्टम, राखड़ बांध, कच्चा जल प्रदाय तथा शोधन प्रणाली, डी.एम. वाटर प्लांट, द्वितीयक तेल ईंधन संग्रहण सुविधायें तथा उसका हैंडलिंग सिस्टम, स्विच यार्ड जिसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सर्विस ट्रांसफार्मर, सहायक इकाई के ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, उच्च दाब तथा निम्न दाब रिवरनिंग नियंत्रण तथा सुरक्षा तंत्र, ओवरहेड क्रैन, चिमनी, गंडार, अतिरिक्त कलपुर्ज, खपने वाला माल, तथा चल रहे कार्य सम्मिलित हैं।

ग अमरकंटक विद्युत केन्द्र की 1 X 30 मेवा, 1 X 20 मेवा तथा 2 X 120 मेवा की उत्पादन इकाइयां और उनसे सम्बद्ध एवं संबंधित उपकरण यथा जनरेटर, टरबाइन, वायलर, कन्डेंसर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसीपिटेटर, नियंत्रक(कंट्रोलर्स) एवं इन्स्ट्रुमेंटेशन, रेलवे साइडिंग, कोल हैंडलिंग सिस्टम, ऐश हैंडलिंग सिस्टम, राखड़ बांध, कच्चा जल प्रदाय तथा शोधन प्रणाली, डी.एम. वाटर प्लांट, द्वितीयक तेल ईंधन संग्रहण सुविधायें तथा उसका हैंडलिंग सिस्टम, स्विच यार्ड जिसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सर्विस ट्रांसफार्मर, सहायक इकाई के ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, उच्च दाब तथा निम्न दाब रिवरनिंग नियंत्रण तथा सुरक्षा तंत्र ओवरहेड क्रैन, चिमनी, गंडार, अतिरिक्त कलपुर्ज, खपने वाला माल, कच्चा माल आदि सम्मिलित हैं तथा चल रहे कार्य सम्मिलित हैं।

जल विद्युत केन्द्र -

क बाणसागर विद्युत उत्पादन केन्द्र के विद्युत गृह क्रमांक -II (सितापरा स्टेशन) इन्टेल सुबचर में लगे पेनस्टाक पेनस्टाक गेट टेलरेस चैनल डाफ्ट टयूब गेट, विद्युत गृह 15 मेवा उत्पादन शक्ति (प्रत्येक) की दो इकाइयां तथा प्रत्येक इकाई के साथ जनरेटर, टरबाइन तथा सभी सम्बद्ध एवं संबंधित उपकरण तथा स्विच यार्ड जिसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टैपडाउन ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, नियंत्रण तथा सुरक्षा व्यवस्था, ओवरहेड क्रैन,

गैल्वेनीज, हाइड्रोलीक होइस्ट, विद्युत गृह भंडार, अतिरिक्त कलपुर्ज, खपने वाला माल, कच्चा माल आदि सम्मिलित है तथा चल रहे कार्य सम्मिलित है।

26. **बराही विद्युत केन्द्र** - इन्टेक स्ट्रक्चर में लगे पैनरहाक, पैनरहाक गेट, टेलरस चैनल, ड्राफ्ट ट्यूब गेट, विद्युत गृह 45 मेवा उत्पादन क्षमता (प्रत्येक) की दो इकाइयां तथा प्रत्येक इकाई के साथ जनरेटर, टरबाइन तथा सभी सम्बंध एवं संबंधित उपकरण तथा रिचार्जिंग जिस्में स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेपडाउन ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, नियंत्रण तथा सुरक्षा व्यवस्था, ओवरहेड जैन, गैट्रीफेन, हाइड्रोलीक होइस्ट, विद्युत गृह भंडार, अतिरिक्त कलपुर्ज, खपने वाला माल, कच्चा माल आदि तथा चल रहे कार्य सम्मिलित है।

27. **बानसागर विद्युत उत्पादन केन्द्र** - विद्युत गृह क्रमांक -I तथा विद्युत गृह क्रमांक -III - इन्टेक स्ट्रक्चर में लगे पैनरहाक, पैनरहाक गेट, टेलरस चैनल, ड्राफ्ट ट्यूब गेट, विद्युत गृह 100 मेवा विद्युत उत्पादन क्षमता (प्रत्येक) की तीन इकाइयां (बानसागर विद्युत गृह क्रमांक -I, टीस जल विद्युत केन्द्र) तथा 20 मेवा विद्युत उत्पादन क्षमता (प्रत्येक) की तीन इकाइयां (बानसागर विद्युत गृह क्रमांक -III देवलौंद) तथा प्रत्येक इकाई के साथ जनरेटर, टरबाइन तथा सभी सम्बंध एवं संबंधित उपकरण तथा रिचार्जिंग जिस्में स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेपडाउन ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, नियंत्रण तथा सुरक्षा व्यवस्था, ओवरहेड जैन, गैट्रीफेन, हाइड्रोलीक होइस्ट, विद्युत गृह भंडार, अतिरिक्त कलपुर्ज, खपने वाला माल, कच्चा माल आदि तथा चल रहे कार्य सम्मिलित है।

28. **बिरसिंहपुर विद्युत उत्पादन केन्द्र** - इन्टेक स्ट्रक्चर में लगे पैनरहाक, पैनरहाक गेट, टेलरस चैनल, ड्राफ्ट ट्यूब गेट, विद्युत गृह 20 मेवा उत्पादन क्षमता की एक इकाई तथा उससे सम्बंध जनरेटर के साथ टरबाइन तथा सभी एवं संबंधित उपकरण तथा रिचार्जिंग जिस्में स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेपडाउन ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, नियंत्रण तथा सुरक्षा व्यवस्था, ओवरहेड जैन, गैट्रीफेन, हाइड्रोलीक होइस्ट, विद्युत गृह भंडार, अतिरिक्त कलपुर्ज, खपने वाला माल, कच्चा माल आदि सम्मिलित है तथा चल रहे कार्य सम्मिलित है।

भागीदारी वाले विद्युत केन्द्र -

क. **सतपुरा धर्मल विद्युत उत्पादन केन्द्र** - (मध्यप्रदेश तथा राजस्थान की हिस्सेदारी में एक अंतराज्यीय परियोजना) 82.5 मेवा उत्पादन क्षमता प्रति इकाई की 6 इकाइयां, मध्यप्रदेश की 60 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सम्बंध एवं संबंधित उपकरण तथा जनरेटर, टरबाइन, वायलर, रक्षक इकाइयां नियंत्रण (कंट्रोल) एवं कन्स्ट्रक्शन प्रणाली, रिजिंग साइडिंग, कोल डेडलिंग सिस्टम, एयर डेडलिंग सिस्टम, राखड बांध, कच्चा जल प्रदाय तथा जलसंचयन प्रणाली, कलिंग टावर, द्वितीयक तेल ईंधन संचयन सुविधाएँ तथा जलका डेडलिंग सिस्टम, रिचार्जिंग जिस्में स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, नियंत्रण तथा सुरक्षा व्यवस्थाएँ, ओवरहेड जैन, भंडार, अतिरिक्त कलपुर्ज, खपने वाला माल, कच्चा माल आदि सम्मिलित है तथा चल रहे कार्य सम्मिलित है।

ख. **बम्बल कामलेश्वर -** (मध्यप्रदेश तथा राजस्थान की हिस्सेदारी में एक अंतराज्यीय परियोजना) गंधीसागर की 23 मेवाट प्रति इकाई की 6 इकाइयां, राजाप्रताप सागर की 45 मेवाट प्रति इकाई की 4 इकाइयां तथा जवाहरसागर की 33 मेवाट प्रति इकाई की 3 इकाइयां में, लागत तथा लाभ अनुसार, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान की 50-50% की हिस्सेदारी है। सभी आवृत्तियों पर दोनों राज्यों के विद्युत मण्डलों का इसी अनुपात में स्थापित है। संचालन-संभालण में होने वाला कार्य दोनों विद्युत मण्डल द्वारा वसूली किया जा रहा है तथा वे विद्युत लब्ध उपजों हिस्सेदारी के अन्सार पर उठा रहे हैं।

ग. **पैठ केन्द्र**¹ - इन्टेक स्ट्रक्चर में लगे पैनरहाक, पैनरहाक गेट, ड्राफ्ट ट्यूब गेट, टेलरस चैनल, विद्युत गृह 80 मेवाट विद्युत उत्पादन क्षमता (प्रत्येक) की दो इकाइयां तथा प्रत्येक इकाई के साथ जनरेटर, टरबाइन तथा सभी सम्बंध एवं संबंधित उपकरण तथा रिचार्जिंग जिस्में स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेपडाउन ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, नियंत्रण तथा सुरक्षा व्यवस्था, पैनरहाक गेट, ड्राफ्ट ट्यूब गेट, ओवरहेड जैन, गैट्रीफेन, हाइड्रोलीक होइस्ट, विद्युत गृह भंडार, अतिरिक्त कलपुर्ज, खपने वाला माल, कच्चा माल आदि सम्मिलित है तथा चल रहे कार्य सम्मिलित है।

1 यह विद्युत केन्द्र महाराष्ट्र में स्थित है जिसमें दो तिहाई हिस्सेदारी महाराष्ट्र की है जो उत्पादन कंपनियों को अंतरित की जायेगी।

2 यह विद्युत केन्द्र उत्तरप्रदेश में स्थित है, जिसमें मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है जो उत्पादन कंपनियों को अंतरित की जायेगी।

घ. सजभाट ब्रेन्ड - इलेक्ट्रिक स्टूबवर्क में लगे पेनस्टाक, पेनस्टाक गेट, टेलरस घेतल, ड्राफ्ट ट्यूबगट, विद्युत गृह 15 मेगाट विद्युत उत्पादन क्षमता (प्रत्येक) की तीन इकाइया तथा प्रत्येक इकाई के साथ जनरेटर, टरबाइन तथा सभी सम्बन्ध एव संबंधित उपकरण तथा स्विच गार्ड जिसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेपडाउन ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, निक्षेपण तथा सुरक्षा व्यवस्था, पेनस्टाक गेट, ड्राफ्ट ट्यूबगट, जोवरहेड कोन, गैलीफोन, डाइडैमेटिक होइस्ट, विद्युत गृह मंडार, अतिरिक्त कलपुर्जे, खपने वाला माल, कच्चा माल आदि सम्मिलित है तथा यहाँ कार्य सम्मिलित है।

दो - निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएँ -

- (क) कलसागर जल विद्युत उत्पादन केन्द्र विद्युत गृह क्रमांक -IV (2 X 10 मे.वा.)
- (ख) गरीयखेड़ा जल विद्युत उत्पादन केन्द्र (2 X 20 मे.वा. + 1 X 20 मे.वा.)
- (ग) राजमगाड़ी ताम विद्युत उत्पादन केन्द्र बिरसिंहपुर प्रस्तावित विस्तार (500 मे.वा.)

तीन - सामान्य आस्तियाँ -

- (क) निम्नलिखित आस्तियाँ यदि वे अन्य रूप से या प्राथमिक तौर पर उपरोक्त पैरा एक तथा दो में उल्लिखित उत्पादन केन्द्रों या परियोजनाओं या इन परियोजनाओं या विद्युत उत्पादन केन्द्रों की गतिविधियों से सम्बन्धित हों -

विशिष्ट औजार तथा उपकरण, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, मिटरों की खुदाई कार्य से संबंधित मशीन (जर्घ मूवर्स) बुलडोजर, कंक्रिट मिक्सर, कोन, ट्रेलर, हलके तथा भारी वाहन, फनीवर फिनिशर, कालाजरील समकरण, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कम्प्यूटर, सिंगल तंत्र, अतिरिक्त कलपुर्जे, खपने वाला माल, कच्चा माल, भूमि तथा सिविल के स्थापित कार्य में सम्मिलित नदी, बैराज, नहरें, मकान, सड़कें, स्टॉक क्वार्टर, पैसाग गृह, संपत्तियाँ तथा दाँते तथा इनसे सम्बन्धित मकान, पावरहाउस, औषधालय, जल प्रयोगशाला तथा उपकरण, प्रशिक्षण केन्द्र, कर्मशालाएँ, भले रहे कार्य, सुधार के लिये मेजी गई मशीनें तथा उपकरण तथा अनुपयोगी और ख़र्दी माल।

- (ख) ऐसे कार्यालयीन स्थापना एवं अन्य भवन तथा भूमियाँ, जो इस अनुसूची में अन्यत्र कहीं भी वर्णित न हों और जो अंतरण के प्रभावी होने की तारीख को प्रधानतः उत्पादन उपक्रमों की गतिविधियों के लिये उपयोग में हों/ उपयोग में लाई जा रही हों।

चार - विविध -

- (1) कान्ट्रेक्ट, करारनामा, लिखित तथा वक्ताव, उस सीमा तक, जहाँ तक वे, उत्पादन गतिविधियों या उपक्रमों या उपरोक्त पैरा एक से तीन में संदर्भित आस्तियों से सम्बन्धित या संबंधित हैं।
- (2) उधार प्रतिभूत तथा कर्जप्रतिभूत, उस सीमा तक जहाँ तक वे उत्पादन गतिविधियों या उपक्रमों या उपरोक्त पैरा एक से तीन में संदर्भित आस्तियों से सम्बन्धित या संबंधित हैं।
- (3) अन्य माल आस्तियाँ, उस सीमा तक जहाँ तक वे, उत्पादन गतिविधियों या उपक्रमों या उपरोक्त पैरा एक से तीन में संदर्भित आस्तियों से सम्बन्धित या संबंधित हैं।
- (4) अन्य माल, दायित्व तथा प्राधान्य, उस सीमा तक जहाँ तक वे, उत्पादन गतिविधियों या उपक्रमों या उपरोक्त पैरा एक से तीन में संदर्भित आस्तियों से सम्बन्धित या संबंधित हैं।
- (5) आकस्मिक दायित्व, उस सीमा तक, जहाँ तक वे अनिश्चित हैं तथा उत्पादन गतिविधियों या उपक्रमों या उपरोक्त पैरा एक से तीन में संदर्भित आस्तियों से सम्बन्धित या संबंधित हैं।
- (6) अन्य दायित्व, उस सीमा तक, जहाँ तक वे, उत्पादन गतिविधियों या उपक्रमों या उपरोक्त पैरा एक से तीन में संदर्भित आस्तियों से सम्बन्धित या संबंधित हैं।
- (7) कार्यवाहियाँ, उस सीमा तथा जहाँ तक वे, उत्पादन गतिविधियों या उपक्रमों या उपरोक्त पैरा एक से तीन में संदर्भित आस्तियों से सम्बन्धित या संबंधित हैं।

प्राति- सामान्य :-

- (1) उत्पादन उपकरण की आरितियां, जेनको में निहित होंगी ।
- (2) राज्य सरकार, नियम 10 में वर्णित अनंतिम (प्रावीकृतनल) अवधि की समाप्ति के पहले, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के दायित्व जेनको को उस सीमा तक तथा उस रीति से आवंटित करेगी, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे ।
- (3) उपरोक्त वर्णित अंतरण के प्रतिफल स्वरूप राज्य सरकार, जेनको को ऐसी लिखतें तथा इविचट्टी शंखर, त्रिफेज होयर, डिबेन्चर तथा अन्य प्रतिभूतियां, राज्य सरकार के पक्ष में या अन्य जांचों के पक्ष में, जैसा कि राज्य सरकार निर्देशित करे, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल से जेनको को अतिरिक्त आरितियां और दायित्वों को ध्यान में रखते हुए जारी करने का निर्देश दे सकेगी ।

अनुसूची - "आ"

पारेषण उपक्रम

पारेषण उपक्रम में विद्युत के पारेषण से संबंधित मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल को सनरत आरितियां दायित्व तथा कार्यवाहियां समाविष्ट होंगी, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं किन्तु उन तक ही सीमित नहीं है :-

एक- पारेषण आरितियां :-

सभी डबल सांकेट/सिंगल सांकेट /डबल सांकेट टावर पर सिंगल सांकेट पारेषण लाइन जिनको पारेषण क्षमता 66 को.व्ही एवं उससे अधिक हो (भले ही वे वर्तमान में 66 को.व्ही से कम वोल्टेज पर कार्य हों), विभिन्न क्षमता के ग्रिड विद्युत उपकेन्द्र तथा उनसे संबद्ध एवं संबंधित उपकरण, स्टैम अप ट्रांसफार्मर, स्टैपडाउन ट्रांसफार्मर, सफिट ब्रेकर, मोटरिंग व्यवस्था तथा अन्य सुरक्षा उपकरण पावर लाइन संघार व्यवस्था के साथ, संबंधित नियंत्रण कक्षा, गार प्रेषण केन्द्र, भूमि (आवागमन के अधिकार सहित), भवन, सड़कें एवं प्रदेश की परिधीमा के भीतर एवं बाहर स्थित सहायक आरितियां, साथ ही ऐसी निर्माणार्थी एवं अधिग्रहित आरितियां, अतिरिक्त या जिनके अधिकार मण्डल के पास अंतरण, विक्रय, कटौत या ग्राहकता निहित हों, सहित परंतु ऐसे निर्माण अथवा स्थापनाओं को छोड़कर, जो विधिक तौर पर किसी अन्य के स्वामित्व में हों और उनके द्वारा संचालित किये जाते हों ।

उपरोक्त के अतिरिक्त 33 को.व्ही. या उससे कम वोल्टेज के वितरण तंत्र, जो 66 को.व्ही. या उससे अधिक क्षमता के ग्रिड विद्युत उपकेन्द्र में हैं तथा जो 66 को.व्ही. या उससे अधिक वोल्टेज को, 33 को.व्ही. तथा कम वोल्टेज में परिवर्तित करने का अभिन्न हिस्सा है, पारेषण तंत्र का हिस्सा होगा तथा ऐसी आरितियां वितरण उपक्रम का हिस्सा नहीं होगी, चाहे किसी अन्य अनुसूची में कुछ भी अंतर्बिष्ट क्यों न हों ।

दो- सामान्य आरितियां :-

- (क) निम्नांकित यदि वे अलग रूप से या प्राथमिक तौर पर उपरोक्त उल्लिखित पारेषण तंत्रों सम्पत्तियों या परिणामांशों से संबंधित या उन पारेषण तंत्रों, सम्पत्तियों या परिणामांशों की गतिविधियों से संबद्ध हों

विशिष्ट औजार तथा उपकरण, मटेरियल हेडलिग इक्विपमेंट, मिट्टी की खुदाई कार्य से संबंधित मशीनें (अर्थ मूवर्स) बुलडोजर, कांक्रिट मिक्सर, ग्रेग ट्रैलर, हल्के तथा भारी वाहन, फनीचर, फिक्चर्स, कार्यालयीन उपकरण, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कम्प्यूटर, सिगनल तंत्र अतिरिक्त कलपुर्जे, खपने वाला माल, कच्चा माल, भूमि तथा सिविल के स्थापित कार्य जैसे भवन, सड़कें, स्टाफ क्वार्टर्स, विश्राम गृह, सौक्तियां तथा बांके तथा उनसे सम्बद्ध भवन, गारशालाएँ, औक्शालय, जॉन प्रयोगशालाएँ तथा उपकरण, प्रशिक्षण केन्द्र, कार्यशालाएँ चल रहे कार्य, सुधार के लिये भेजी गई मशीनें तथा उपकरण तथा अनुपयोगी और रद्दी माल ।

- (ख) हिस्सेदार/ भागीदारी वाले (शेयर्ड) विद्युत उपकेन्द्रों में, मण्डल में निहित अधिकारों की सीमा तक, जिसके अंतर्गत :-

विशिष्ट औजार तथा उपकरण, मटेरियल हेडलिग इक्विपमेंट, मिट्टी की खुदाई कार्य से संबंधित मशीनें (अर्थ मूवर्स) बुलडोजर, कांक्रिट मिक्सर, ग्रेग ट्रैलर, हल्के तथा भारी वाहन, फनीचर, फिक्चर्स, कार्यालयीन उपकरण, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कम्प्यूटर, सिगनल तंत्र, अतिरिक्त कलपुर्जे, खपने वाला माल, कच्चा माल, भूमि तथा सिविल के स्थापित कार्य जैसे भवन, सड़कें, स्टाफ क्वार्टर्स, विश्राम गृह,

संपत्तियां तथा ढांचे तथा उनसे सम्बद्ध भवन, पाठशालाएँ, औषधालय, जाँच प्रयोगशालाएँ तथा उपकरण, प्रशिक्षण केन्द्र, कार्यशालाएँ, कार्य प्रगति में, सुधार के लिये भेजी गई मशीनें तथा उपकरण तथा अनुपयोगी और रद्दी माल ।

(ग) सभी स्वतंत्र एवं एकत्र (स्टैंड एलोन) विश्राम गृह, जो मण्डल के किसी विद्युत उपकेंद्रों या स्थापना का अंग नहीं हैं ।

(घ) जो इस अनुसूची में अप्रत्यक्ष उल्लिखित नहीं है ऐसी कार्यालयीन स्थापना एवं अन्य भवन तथा भूमियां, तथा जो अंतरण की प्रभावी तारीख पर प्रचलित पारेषण उपक्रमों की गतिविधियों के लिये कब्जे / उपयोग में हैं ।

तीन- विविध :-

- (1) कान्ट्रेक्ट, करारनामा, हित तथा ठहराव, उस सीमा तक, जहाँ तक वे, पारेषण गतिविधियाँ या उपक्रमों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं ।
- (2) उधार प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत, उस सीमा तक जहाँ तक वे, पारेषण गतिविधियों या उपक्रमों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं ।
- (3) अन्य चालू आस्तियाँ, उस सीमा तक जहाँ तक वे, पारेषण गतिविधियों या उपक्रमों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं ।
- (4) अन्य चालू दायित्व तथा पाठ्यांग, उस सीमा तक जहाँ तक वे, पारेषण गतिविधियों या उपक्रमों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं ।
- (5) आकस्मिक दायित्व, उस सीमा तक जहाँ तक वे, अभिज्ञात तथा पारेषण गतिविधियों या उपक्रमों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं ।
- (6) अन्य दायित्व, उस सीमा तक जहाँ तक वे, पारेषण गतिविधियों या उपक्रमों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं ।
- (7) कार्यवाहियाँ, उस सीमा तक जहाँ तक वे, पारेषण गतिविधियों या उपक्रमों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं ।

चार- सामान्य -

- (1) पारेषण उपक्रम की आस्तियाँ, ट्रांसको में निहित होंगी ।
- (2) राज्य सरकार, निगम 10 में निर्णित अगतिन(मानीजन्स) अधिन की समाप्ति के पहले, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल को दायित्व, ट्रांसको को उस सीमा तक तथा उस प्रकार से आपटित करेगी, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे ।
- (3) उपरोक्त निर्णित अंतरण के प्रांतिकल स्वरूप, राज्य सरकार ट्रांसको को, ऐसी लिखतें यथा इन्विपटी रोडर, प्रिफरेंस शेयर, डिबेंचर तथा अन्य प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार के पक्ष में या अन्य कंपनी के पक्ष में, जैसा कि राज्य सरकार निर्देशित करे, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल से ट्रांसको को अंतरित आस्तियों और दायित्वों को ध्यान में रखते हुए, जारी करने का निर्देश दे सकेगी ।

अनुसूची - "ग"

डिस्क्रीम-1 का वितरण उपक्रम

डिस्क्रीम 1 के वितरण उपक्रम में, सामान्यतया मध्यप्रदेश राज्य के जबलपुर, रीवा और सागर रांगों से मिलकर बनने वाले विद्युत प्रदाय के क्षेत्र में, विद्युत के वितरण से संबंधित मण्डल की सम्पत्ति आस्तियाँ, दायित्व और कार्यवाहियाँ समाविष्ट होंगी, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगी किन्तु वे केवल उन्हीं तक ही सीमित नहीं होंगी, अर्थात् :-

एक. वितरण आस्तियाँ :-

राजी 33 के.वी., 11 के.वी., निम्न दाब (दो तार सिंगल फेस से पांच तार 3 फेस तक) लाइनें (ओवरहेड लाइनों, एरियल बंच केबल तथा भूमिगत केबल के साथ) तथा विभिन्न प्रकार के अवलम्बन (सपोर्ट) के विद्युत उपकेंद्र, अनेक आकार के कंडक्टरों सहित तथा स्टेप अप/स्टेपडाउन ट्रांसफार्मर, ब्रेकर, सुरक्षा तथा मापक सामान

तथा नियंत्रण कक्ष, जांच प्रयोगशालाएँ, भूमि(आवागमन के अधिकार सहित), सड़कें, मकान, डीजल जनरेटर सेट या अन्य पारंपरिक और गैर पारंपरिक उत्पादन इकाइयाँ, सर्विस कनेक्शन तथा उपभोक्ता के परिसर के भीतर लगे हुए उपकरण, सड़क बत्ती (स्ट्रीट लाइटिंग) और सिमान्त व्यवस्थाएँ, जो मण्डल के स्वामित्व में हैं या मण्डल को पट्टे पर दी गई हैं सन्ध ही अंतरण प्रभावी होने की तारीख से उपरोक्त आस्तियों में से कोई भी निर्माणधीन आस्ति, परन्तु ऐसी फिटिंग एवं फिक्चर्स या लगवाये गये उपकरण आदि को छोड़कर जो किसी निजी व्यक्तियों या स्थानीय प्राधिकरणों के स्वामित्व में हैं।

दो. सामान्य आस्तियाँ :-

निम्नातिथित आस्तियाँ, यदि वे अनन्य रूप से या प्राथमिक तौर पर उपरोक्त वर्णित वितरण तंत्र, संपत्ति या परियोजनाओं या ऐसे वितरण तंत्रों, संपत्तियों या परियोजनाओं की गतिविधियों से संबंधित हों :-

विशेषतः औजार तथा उपकरण, मटॉरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, मिट्टी की खुदाई कार्य से संबंधित मशीनें (अर्थ मूवर्स) बुलडोजर, फॉलोव मिक्सर, क्रॉवर, ट्रैक्टर, हल्के तथा भारी वाहन, फनीयर, फिक्सचर्स, कार्यालयीन उपकरण, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कम्प्यूटर, सिमान्त तंत्र, अतिरिक्त कलपुर्जे, रखपने वाला माल, कच्चा माल, भूमि तथा सिविल के संस्थापन संबंधी कार्य जैसे भवन, सड़कें, स्टाफ क्वाटर्स, विश्राम गृह, संपत्तियाँ तथा ढांचे तथा उनसे सम्बद्ध भवन, पाठशालाएँ, औषधालय, जांच प्रयोगशालाएँ तथा उपकरण, प्रशिक्षण केन्द्र, कर्मशालाएँ, चल रहे कार्य, सुधार के लिये भेजी गई मशीनें तथा उपकरण तथा अनुपयोगी और रद्दी माल।

ऐसी कार्यालयीन स्थापना तथा अन्य भवन तथा भूमियाँ, जो इस अनुसूची में अन्यत्र जहाँ भी वर्णित न हों और जो अंतरण प्रभावी होने की तारीख को प्रधानतः डिस्कॉम-1 के वितरण तपक्रमों की गतिविधियों के लिये अधिमोग में हों / उपयोग में लाई जा रही हों।

तीन. विविध :-

- (1) कान्ट्रेक्ट, करारनामा, हित तथा ठहराव, उस सीमा तक, जहाँ तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियाँ या उपक्रमों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।
- (2) उद्योग प्रतिनूत तथा अप्रतिनूत, उस सीमा तक, जहाँ तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियाँ या उपक्रमों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।
- (3) अन्य नानू श्रान्तिगा, उस सीमा तक, जहाँ तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियों या उपक्रमों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।
- (4) अन्य दायित्व, उस सीमा तक, जहाँ तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियों या उपक्रमों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।
- (5) आकस्मिक दायित्व, उस सीमा तक, जहाँ तक कि वे, मान्यताप्राप्त तथा वितरण संबंधी गतिविधियों या उपक्रमों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।
- (6) अन्य दायित्व, उस सीमा तक, जहाँ तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियों या उपक्रमों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।
- (7) कार्यवाहियाँ, उस सीमा तक जहाँ तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियों या उपक्रमों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।

चार. सामान्य :-

- (1) वितरण उपक्रम की आस्तियाँ, डिस्कॉम-1 में निहित होंगी।
- (2) राज्य सरकार नियम 10 में वर्णित अनंतिम(प्रावीजनल) अवधि की समाप्ति के पहले, मुख्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के दायित्व डिस्कॉम-1 को उस सीमा तक तथा उस रीति में आवंटित करेगी, जिसे कि वह ठीक समझे।

- (3) अन्य चालू आस्तियां, उस सीमा तक जहां तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।
- (4) अन्य चालू दायित्व तथा प्रावधान, उस सीमा तक जहां तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।
- (5) आकस्मिक दायित्व, उस सीमा तक जहां तक कि वे, मान्यता प्राप्त तथा वितरण संबंधी गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।
- (6) अन्य दायित्व, उस सीमा तक, जहां तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।
- (7) कार्यवाहियां, उस सीमा तक जहां तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।

चार. सामान्य -

- (1) वितरण उपक्रम की आस्तियां, डिस्कान-2 में निहित होंगी।
- (2) राज्य सरकार, नियम 10 में वर्णित अनंतिम (प्रायोजनल) अवधि की समाप्ति के पहले, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के दायित्व डिस्कान-2 को उस सीमा तक तथा उस रीति में आवंटित करेंगी, जिसे कि वह ठीक साझा।
- (3) उपरोक्त वितरण के प्रतिफल स्वरूप, राज्य सरकार, डिस्कान 2 को, ऐसी लिखतें जैसे इन्फिटी गेजर, फील्डर, गेजर, डिबेन्सर तथा अन्य प्रतिभूतियां, राज्य सरकार के पास में या अन्य कंपनी के पास में, जैसा कि राज्य सरकार निर्देशित करे, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल से डिस्कान-2 को अंतरित आस्तियों और दायित्वों को ध्यान में रखा जाए, जारी करने का निर्देश दे सकती।

अनुसूची - "ड"

डिस्कान 3 का वितरण उपक्रम

डिस्कान-3 के वितरण उपक्रम में सामान्यतया मध्यप्रदेश राज्य के इंदौर एवं उज्जैन संभागों से मिलकर बनने वाले विद्युत प्रवाह के क्षेत्र में विद्युत के वितरण से संबंधित मण्डल की निम्नलिखित समस्त आस्तियां, दायित्व एवं कार्यवाहियां समाविष्ट होंगी जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगी, किन्तु वे कमल ऊन्ही उप ही सीमित नहीं होंगी, अर्थात् :-

एक. वितरण आस्तियां -

सभी 33 के.वी. 11 के.वी. निम्न वाब (दो तार सिगल फेस से पांच तार 3 फेस तक) लाइन (ओवरहेड लाइन), एरियल बंध कॉबल तथा भूमिगत कॉबल के साथ) तथा विभिन्न प्रकार के अवलम्बन (सपोर्ट) के विद्युत उपकरण, अनेक आन्तरिक केबलिंग सहित तथा स्टेप अप/स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डेकर, सुखा तथा मापक साधन तथा निर्वहन कक्ष, जांच प्रयोगशालाएँ, भूमि (आवागमन के अधिकार सहित), सड़कें, भवन, डीजल जनरेटर सेट या अन्य पारंपरिक और गैर पारंपरिक उत्पादन इकाइयाँ, सर्विस कनेक्शन तथा उपभोक्ता के परिसर के भीतर लगे हुए उपकरण, नज़र बारी (सीटिंग) और सिगनल व्यवस्थाएँ, जो मण्डल के स्वामित्व में हैं या मण्डल को पट्टे पर दी गई हैं राज्य की अंतर्गत प्रभावी होने की तारीख से उपरोक्त आस्तियों में से कोई भी निर्माणधीन आस्ति, परन्तु ऐसी फिटिंग एवं फिक्स्चर्स या लगवाये गये उपकरण आदि को छोड़कर जो किसी निजी व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व में हैं।

दो. सामान्य आस्तियां -

निम्नलिखित आस्तियां, यदि वे अनन्य रूप से या प्राथमिक तौर पर उपरोक्त वर्णित वितरण तंत्र, संपत्ति या परियोजनाओं या ऐसे वितरण तंत्रों, संपत्तियों या परियोजनाओं की गतिविधियों से संबंधित हों, -

विशिष्ट औजार तथा उपकरण, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, मिट्टी की खुदाई कार्य से संबंधित मशीनें (अर्थ मूवर्स) बुलडोजर, कंक्रिट मिक्सर, क्रेन, ट्रैक्टर, हल्के तथा भारी वाहन, फर्नीचर, फिक्स्चर्स, कार्यालयीन उपकरण, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कम्प्यूटर, सिगनल तंत्र, अतिरिक्त कलपुर्ज, खपने वाला मातृ कच्चा माल, भूमि तथा सिविल के संस्थापन सम्बन्धी कार्य जैसे भवन, सड़कें, रूफ कपर्स, विभाग गृह, संपत्तियां तथा बाड़े तथा उनसे सम्बद्ध भवन, पाठशालाएँ, औषधालय, जांच प्रयोगशालाएँ तथा

संपकरण, प्रशिक्षण केन्द्र, कर्मशालाएँ वगैरहें उनके कार्य सुचारु के निम्न भेजी गई मशीनें तथा उपकरण तथा अनुपयोगी और रद्दी माल ।

ऐसी कार्यालयीन स्थापना तथा अन्य भवन तथा भूनेयाँ, जो इस अनुसूची में अन्यत्र कहीं भी वर्णित न हों और जो अंतरण प्रस्तावी होने की तारीख को प्रधानतः डिस्काम-3 के वितरण उपक्रमों की गतिविधियों के लिये अधिमोग में हों / उपयोग में लाई जा रही हों ।

तीन. विविध -

- (1) कानूनीय करारनामा, हित तथा ठहराव, उस सीमा तक जहाँ तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियों या उपक्रमों या उपरोक्त कड़िका एक से दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं ।
- (2) चालू इतिवृत्त तथा धातिवृत्त, उस सीमा तक, जहाँ तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियों या उपक्रमों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं ।
- (3) अन्य चालू आस्तियाँ, उस सीमा तक, जहाँ तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियों या उपक्रमों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं ।
- (4) अन्य चालू दायित्व तथा प्रावधान, उस सीमा तक, जहाँ तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियों या उपक्रमों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं ।
- (5) आकस्मिक दायित्व, उस सीमा तक जहाँ तक कि वे, मान्यता प्राप्त तथा वितरण संबंधी गतिविधियों या उपक्रमों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं ।
- (6) अन्य दायित्व, उस सीमा तक, जहाँ तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियों या उपक्रमों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं ।
- (7) कार्यवाहियाँ, उस सीमा तक जहाँ तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियों या उपक्रमों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं ।

चार. सामान्य -

- (1) वितरण उपक्रम की आस्तियाँ, डिस्काम-3 में निहित होंगी ।
- (2) राज्य सरकार- नियम 10 में वर्णित अनतिम(प्रारंभिक) अवधि की समाप्ति के पहले, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के अधिकारी डिस्काम-3 को उस सीमा तक तथा उस रीति से आवंटित करेगी, जिसे कि वह ठीक समझे ।
- (3) उपरोक्त अंतरण के प्रतिकृत स्वस्व, राज्य सरकार, डिस्काम-3 को, ऐसी लिखतों जैसे इक्विटी शेयर, डिफरेंस शेयर, डिबेंचर तथा अन्य प्रतिभूतियाँ राज्य सरकार के पक्ष में या अन्य कम्पनी के पक्ष में जैसा कि राज्य सरकार निर्देशित करे, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल से डिस्काम-3 को अंतरित आस्तियों और दायित्वों को ध्यान में रखते हुए, जारी करने का निर्देश दे सकेगी ।

अनुसूची 'ब'

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल में प्रतिधारित कृत्य तथा निम्नलिखित

- (1) बड़ी मात्रा में क्रय तथा प्रदाय के कृत्य, अर्थात् उत्पादन कंपनियों से, जिनमें जिनको भी सम्मिलित है, बड़ी मात्रा में विद्युत ऊर्जा तथा डिस्कामों को बड़ी मात्रा में विद्युत का प्रदाय । तथापि मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल ऐसी तारीखों में, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त निर्देशित करे, मध्यप्रदेश राज्य में विद्युत उपलब्धता को विद्युत के ब्यावसायिकी क्रियाकलाप का जिम्मा नहीं लेगा ।
- (2) उस सीमा तक प्रतिधारित किय जाने वाले दायित्व, जो कि राज्य सरकार द्वारा, इस निमित्त जारी निर्देश के अनुसार हैं ।

- (3) रकमों के रूप में वे आस्तियाँ, जिन्हें कि राज्य सरकार, अंतरिती द्वारा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल को, उपरोक्त खण्ड (2) के अनुसार प्रतिधारित प्रावित्वों की प्रतिभूति करने के लिए उस सीमा तक तथा उस रीति में, जैसा कि राज्य सरकार अनुचित समझे, दिया जाना निर्देशित करे।
- (4) नकद तथा बैंक बैलेन्स प्रेषित किए जाएंगे तथा अंतरिती को उस सीमा तक दिए जावेंगे, जहां तक कि वे उनसे संबंधित या सम्बद्ध हों या जैसा कि राज्य सरकार इस निर्मित निर्देश जारी करे।
- (5) स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) से प्रतिभूति निक्षेप के रूप में ली गई रकम, जो साक्ष्य जमा (फिक्सड डिपॉजिट) के रूप में ब्लैक बैंक ऑफ इंडिया को पास है।

भोपाल दिनांक 30 सितंबर, 2003

क्रमांक 6259-एफ/अ.एस-17-तैरह-2003 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विद्युत सुधार प्रथम अंतरण योजना निगम, 2003 का अंतिमी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

धोरज माधुर, सचिव

Energy Department

Mantralaya, Vellobh Bhavan

Bhopal, the 30th September 2003

RULES

No. 6259/FRS/17/13/2002 - In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2), (5), (6) and (7) of section 131 and section 133 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with sub-sections (1), (2) and (3) of Section 23, 24 and sub-section (2) of section 56 of the Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam, 2000 (No. 4 of 2001), the State Government hereby makes the following Rules for regulating the transfer and vesting of functions, properties and interests, rights and liabilities of the Madhya Pradesh State Electricity Board in the State Government and re-transfer and re-vesting thereof by the State Government in any other company or body corporate or authority and also for the transfer of Personnel of the Madhya Pradesh State Electricity Board to any other company or body corporate or authority and for determining the terms and conditions on which such transfer and vesting shall be made, namely:-

Short title, extent and commencement.

1. (1) These Rules may be called the **Madhya Pradesh Electricity Reforms First Transfer Scheme Rules, 2003.**
- (2) They extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.
- (3) They shall come into force from such date as the State Government may, by notification appoint and different dates may be appointed for different provisions and different transfers as may be notified.

Application of Rule to the Assets and Liabilities Definitions.

2. They shall apply to the assets, properties, interests, rights and liabilities, proceedings and personnel of the Board within and outside the State.
3. In These Rules, unless the context otherwise requires -
 - (a) "ACT" for the purpose of these Scheme Rules means the Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam, 2000 (No. 4 of 2001);
 - (b) "Board" means Madhya Pradesh State Electricity Board constituted under Section 5 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948);
 - (c) "Central Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
 - (d) "Company" means the company formed and registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
 - (e) "Commission" means the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, constituted under Section 3 of the Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam, 2000 (No. 4 of 2001) and recognized under section 82 of the Central Act;
 - (f) "Date of the transfer" means the date notified by the State Government for effecting transfer of functions, properties, interest, rights and liabilities, proceedings or personnel of the Board to the relevant Transferee in accordance with the Act and these Scheme Rules;
 - (g) "Distribution Companies" means Discom 1, Discom 2 and Discom 3 for distribution and retail supply of electricity;

- (h) "Discom 1" means Madhya Pradesh Poorv Khestra Vidyut Vitaran Company Limited, a company incorporated with the main object of undertaking electricity distribution and retail supply in the Commissioneries of Jabalpur, Rewa, and Sagar of the State of Madhya Pradesh;
- (i) "Discom 2" means Madhya Pradesh Madhya Khestra Vidyut Vitaran Company Limited, a company incorporated with the main object of undertaking electricity distribution and retail supply in the Commissioneries of Bhopal, Hoshangabad, Chambal and Gwalior of the State of Madhya Pradesh;
- (j) "Discom 3" means Madhya Pradesh Paschim Khestra Vidyut Vitaran Company Limited, a company incorporated with the main object of undertaking electricity distribution and retail supply in the Commissioneries of Indore and Ujjain of the State of Madhya Pradesh;
- (k) "Genco" means the Madhya Pradesh Power Generating Company Limited, a company incorporated with the main object of generation of electricity in the State of Madhya Pradesh;
- (l) "Liabilities" include all liabilities, debts, duties, obligations and other outgoing including statutory liabilities and Government levies of whatever nature and contingent liabilities which may arise in regard to the dealings before the date of the transfer in respect of the Undertakings transferred under these Rules;
- (m) "Personnel" means workmen, employees, staff and officers of the Board by whatever name called and includes trainees, if any for the recruitment in the Board and those on deputation from the Board to other organizations or institutions;
- (n) "Proceeding" means the proceedings of whatever nature including suits, appeals, complaints, petitions, applications, conciliatory, arbitration whether civil or criminal or otherwise;

- (o) "Property" means all assets includes power systems, plant, machinery, land, building, offices, stores, furnitures, fixtures, vehicles, residential quarters and guest houses and amenities and installations pertaining and attached thereto and other movable and immovable assets, cash in hand, cash at bank, investments, book debts, corporeal and incorporeal, tangible and intangible assets, benefits, licenses, consents, authorities, registrations, patents, trade marks and powers of every kind, nature and description whatsoever, privileges, liberties, easements, advantages, benefits and approvals, contracts, deeds, schemes, bonds, agreements and other instruments and interest of whatever nature and wherever situate;
- (p) "Schedule" means the Schedules appended to these Scheme Rules;
- (q) "State" means the State of Madhya Pradesh;
- (r) "Transco" means the Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited, a company incorporated with the main object of undertaking the transmission of electricity in the State of Madhya Pradesh;
- (s) "Transferee" means TRANSCO or GENCO or DISCOM-1 or DISCOM-2 or DISCOM-3, as the case may be, in whom the functions and Undertakings of the Board are vested in terms of the provisions of the Act read with these Scheme Rules;
- (t) "Undertaking" means the functions of the Board and a block or blocks of properties, interest, rights and liabilities to the extent and in the manner specified as a part of the undertakings and such other properties, interest, rights and liabilities as specified in these Scheme Rules relevant to the functions;
- (u) Words and expressions used in this Scheme rules and defined in the Act and Central Act but not specifically defined in these scheme rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act and Central Act.

- Classification of Undertakings of the Board.**
- (1) The undertakings of the Board are classified in the following Schedules:
- (a) Generation Undertakings as set out in Schedule – 'A';
 - (b) Transmission Undertakings as set out in Schedule – 'D';
 - (c) For DISCOM 1, the Distribution Undertakings as set out in Schedule – 'C';
 - (d) For DISCOM 2, the Distribution Undertakings as set out in Schedule – 'D';
 - (e) For DISCOM 3, the Distribution Undertakings as set out in Schedule – 'E'; and
 - (f) The Undertakings as set out in Schedule – 'F'.
- (2) If the assets of the Undertaking under sub-rule (1) are subject to security documents or arrangements in favour of third parties for any financial assistance or obligation taken by the Board and the liabilities in respect thereof are to be classified in different Undertakings, the State Government, may by order to be issued for the purpose, provide for the apportionment of the liabilities secured by such properties, assets and rights between the different Undertakings and upon such apportionment, the security shall be applicable to the extent of apportioned liability.
- Transfer of property to the State.**
- 5 (1) On and from the date of transfer to be notified by the State Government the properties and all interests, rights and liabilities of the Board as specified in Schedules 'A' to 'E' shall stand transferred to and vested in the State Government for the purposes of the Transfer Schemes under these Scheme Rules
- (2) Nothing in sub-rule (1) shall apply to rights, responsibilities, liabilities and obligations in respect of the personnel and personnel related matters including statutory dues such as salary, wages, gratuity, pension, provident fund, compensation terminal and retirement benefits and the same shall be dealt in the manner provided under Rule 7 of these Scheme Rules.

**Transfer of
Undertaking by
the State.**

6. (1) The Undertakings forming part of Generation Undertakings as set out in Schedule – 'A' shall stand transferred to and vested in GENCO on and from the date of the transfer to be notified by the State Government subject to the terms and conditions specified in the Act and these Scheme Rules.
- (2) The Undertakings forming part of Transmission Undertakings as set out in Schedule – 'B' shall stand transferred to and vested in TRANSCO on and from the date of the transfer to be notified by the State Government subject to the terms and conditions specified in the Act and these Scheme Rules.
- (3) The Undertakings forming part of Distribution Undertakings as set out in Schedule – 'C' shall stand transferred to and vested in DISCOM – 1 on and from the date of the transfer to be notified by the State Government subject to the terms and conditions specified in the Act and these Scheme Rules.
- (4) The Undertakings forming part of Distribution Undertakings as set out in Schedule – 'D' shall stand transferred to and vested in DISCOM – 2 on and from the date of the transfer to be notified by the State Government subject to the terms and conditions specified in the Act and these Scheme Rules.
- (5) The Undertakings forming part of Distribution Undertakings as set out in Schedule – 'E' shall stand transferred to and vested in DISCOM – 3 on and from the date of the transfer to be notified by the State Government subject to the terms and conditions specified in the Act and in these Scheme Rules.
- (6) The Undertakings or the Properties and Liabilities as set out in Schedule 'F' shall be retained by the Board till further orders of the State Government.

- (7) On such transfer and vesting of the Undertakings in terms of sub-rules (1) to (5) of these Scheme Rules and except as otherwise provided, the respective transferees, shall be responsible for all functions, contracts, rights, deeds, schemes, bonds, agreements and other instruments of whatever nature relating to the respective Undertakings transferred to it to which the Board was a party, subsisting or having effect on the date of the transfer, in the same manner as the Board was liable immediately before the date of the transfer, and the same shall remain in force and effect against or in favour of the respective transferee and may be enforced effectively as if the respective transferee had been a party thereto instead of the Board.
- (8) The transfer to and vesting of the Undertakings to the transferees in terms of these Scheme Rules shall take effect immediately on the date of the transfer as may be notified by the State Government for the purpose notwithstanding that the value of such Undertaking have not been determined and shall be determined at a later date.
- (a) The value of the assets to be transferred to the Transferees shall be the fair value determined in any one or more of the following basis.
- (i) Revenue earning potential, or
 - (j) Depreciated replacement value, or
 - (k) Book value
- (c) The opening balance sheet of the Transferees may be finalised and notified by the State Government at any time during the provisional period mentioned in Rule 10 of these Scheme Rules.
- (9) The State Government may by an order to be issued for the purpose amend, vary, modify, add, delete or otherwise change the terms and conditions specified in the Schedules at any time during the provisional period mentioned in Rule 10 of these Scheme Rules.

**Transfer of
Personnel.**

7. (1) The transfer of personnel shall be subject to the terms and conditions contained in section 133 of the Central Act and section 24 of the Act.
- (2) (a) On the Date of Transfer, notified by the State Government for transfer of the specific Undertakings under Rule 6, the personnel of the Board shall stand assigned to the services of the Genco, Transco, Discom-1, Discom-2 and Discom -3, as the case may be, on as is where is basis, namely, that they will continue to serve in the place where they are posted on the date of the transfer, till further orders of the State Government.
- (b) The State Government may issue orders from time to time directing the personnel rendering services in the Board relating to undertakings classified in two or more of the Schedules, to be assigned to the undertakings classified under a specified schedule and thereupon such personnel shall be deemed to have assigned to the services of such undertakings for all intent and purposes.
- (3) The assignment under sub-rules (1) and (2) above to the transferees shall continue till the personnel are absorbed in the services of the specific Transferee, in accordance with the provisions of the Act, these Scheme Rules, and orders to be issued by the State Government under these Scheme Rules.
- (4) The State Government shall in consultation with the Genco, Transco, Discoms and the Board finalise the transfer to and permanent absorption of the Personnel in a Transferee taking into account the suitability, ability and experience of the personnel, number and nature of the vacancies and other relevant factors and issue appropriate orders, as it may think fit, for such permanent absorption within the provisional period mentioned in Rule 10.

(5) For the purpose of sub-Rule (4) above the State Government shall, in consultation with Genco, Transco, Discoms and the Board, constitute a Committee as the State Government may consider appropriate to (a) receive representations from the Personnel in regard to their transfer and absorption in the transferee, and (b) to make recommendation on such transfer and absorption, within such time as State Government may by notification specify for the purpose.

(6) The State Government shall take a decision on the transfer and permanent absorption of the Personnel in the Transferee after considering the recommendation of the Committee appointed for the purpose and shall issue orders for such transfer and permanent absorption of the Personnel.

(7) Upon the finalization and issue of orders in terms of the sub-rule (6), the personnel shall form part of the service of the Transferee concerned, in the post, scale of pay or seniority in accordance with the orders that may be issued for this purpose, without any further act, deed or thing to be done by the State Government or the Board or the Transferee or any other person including the personnel.

(8) Subject to the provisions of the Act and these Scheme Rules, the transferee shall be entitled to modify or frame new regulations governing the conditions of service of personnel transferred to the transferee under these Scheme Rules, but their rank, scale of pay, salary, allowances and other pecuniary benefits including terminal benefits etc., after the effective date of transfer shall not in any way be inferior to those applicable to them immediately before the transfer.

- (9) In respect of all statutory and other schemes and employment related matters including the provident fund, gratuity fund, pension and any other superannuation fund or any other special fund created or existing for the benefit of the personnel, the relevant transferee shall stand substituted for the Board for all purposes and all the rights, powers and obligations of the Board in relation to any and all such matters shall become those of the transferee concerned and the services of the personnel shall be treated as having been continuous for the purpose of the application of these Scheme Rules.
- (10) The State Government shall notify appropriate arrangements in regard to the funding of the pension funds and other personnel related funds by the transferees to the extent they are not funded on the date of the transfer of the Personnel from the Board including for the due payment of the amounts to personnel who retire after the date of the transfer, by the respective transferees to which these personnel are transferred and till such time such payments shall be duly made by the Board.
- (11) The State Government shall notify appropriate arrangements in regard to the funding and due payment of the terminal benefits to the existing pensioners of the Board as on the date of the transfer and till such time such payments shall be duly made by the Board.

For the purpose of this sub-clause the term, -

- (i) "Existing Pensioner" means all the persons eligible for the pension as on the date of the transfer from the Board and shall include family members of the personnel, and
- (ii) "Terminal Benefits" mean the gratuity, pension, dearness and other applicable relief, medical benefit, and other applicable benefits including the right to have the appropriate revisions in the above benefits consistent with the practice that were prevalent in the Board.

- (12) The provisions of sub-rules (9), (10) and (11) above shall not apply to any personnel, other than the existing personnel and existing pensioner of the Board, as on the date of transfer. All personnel recruited and appointed by the transferee shall be governed by, Contributory Provident Fund Scheme or any other appropriate scheme, which the transferee concerned may establish, for the purpose, and not by the pension schemes of the existing personnel and existing pensioners, under sub-rules (9), (10) and (11) above.
- (13) All proceedings including disciplinary proceedings pending against the personnel prior to the date of the transfer from the Board to the transferee or from such transferee to another transferee, as the case may be, or which may relate to misconduct, lapses or acts of commission or omission committed before the date of the transfer, shall not abate and may be continued by the relevant transferee.
- (14) The personnel transferred to the transferees, shall be deemed to have entered into an agreement with the transferee concerned to repay loans, advances and other sums due or otherwise perform obligations undertaken by them to the Board which remain outstanding as on the date of the transfer, on the same terms and conditions as contained in the arrangement with the Board.
- (15) Nothing contained in these Scheme Rules shall apply to personnel of the State Government or the Central Government or other organization on deputation to Board as on the date of the transfer but such personnel shall continue on deputation to the concerned transferee(s) to whose services they are assigned on as is where is basis or otherwise as per the orders of the State Government from time to time, issued in this behalf.

Rights and obligations of third parties restricted.

8. Upon the transfer being effected in accordance with the provisions of the Act and these Scheme Rules, the rights and obligations of all persons (including body corporate, financial institutions, lenders, etc.) shall be restricted to the Transferee to whom they are transferred to and notwithstanding anything to the contrary contained in any deed, documents, instruments, agreements or arrangements which such person has with the Board, he shall not claim any right or interest against the State Government, Board or any other Transferee.

Pending suits, Proceedings, etc.

9. (a) All Proceedings of whatever nature by or against the Board pending on the date of the transfer shall not abate or discontinue or otherwise in anyway prejudicial be affected by reason of the transfer under these Scheme Rules and the proceedings may be continued, prosecuted and enforced by or against the transferee to whom the same are assigned in accordance with these Scheme Rules and orders issued there under.
- (b) Such proceedings may be continued in the same manner and to the same extent as it would or might have been continued, prosecuted and enforced by or against the Board if the transfers specified in these Scheme Rules had not been made.

Classification and transfer of property, rights, liabilities and proceedings to be provisional in the first instance.

- 10 (1) The classification and transfer of Undertakings including personnel under these Scheme Rules, unless otherwise specified in any order made by the State Government, shall be provisional and shall be final upon the expiry of twelve months from the date of the transfer.

- (2) At any time within a period of twelve months from the date of the transfer, the State Government may by order to be notified amend, vary, modify, add, reduce, delete or otherwise change terms and conditions of the transfer including items included in the transfer, and transfer such properties, interests, rights, liabilities, personnel and proceedings and forming part of an Undertaking of one transferee to that of any other transferee or the Board or to the State Government in such manner and on such terms and conditions as the State Government may consider appropriate.
 - (3) On the expiry of the period of twelve months from the date of the transfer and subject to any directions given by the State Government, the transfer of undertakings, properties, interests, rights, liabilities, personnel and proceedings made in accordance with the Scheme Rules shall become final.
11. The transfer under these Scheme Rules shall be operated and be effective pursuant to action of the State Government by publishing these Scheme Rules and Orders issued in terms of these Scheme Rules and without any further act, deed or thing to be done by the State Government, Board, transferees or any other person, subject to the terms and conditions of these Scheme Rules.
- Transfer by operation of law
12. (1) The transferees shall continue to function and undertake business activities assigned to them on behalf of and as agents of the Board till such time the State Government issues a Notification authorising the transferees to undertake such functions and activities on their own and independent of the Board.
- Rights and Powers of the Transferees during the provisional period.
- (2) The State Government may issue such Notification from time to time in respect of one or more of the transferees, but all such notifications shall be issued before the end of the provisional period as specified in Rule 10.

Decision of State Government to be final. 13. (1) If any doubt, dispute, difference or issue shall arise in regard to the transfers under these Scheme Rules subject to the provisions of the Act, the decision of State Government thereon shall be final and binding on all parties.

(2) The State Government may, by order published in the Official Gazette, amend these Scheme Rules and make such provisions, not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulties arising in implementing the transfers under these Scheme Rules.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh

Dhiraj Mathur, Secretary

SCHEDULE - 'A'

GENERATION UNDERTAKINGS

The Generation Undertakings shall comprise of the Assets, Liabilities and proceedings, including the following but not limited to them, belonging to the Madhya Pradesh State Electricity Board, concerning the Generation of electricity:

I. EXISTING POWER STATIONS:

THERMAL:

- A Satpura Station with PH I 1 x 200 MW plus 1x210MW and PH II 2 x 210 MW generating units and with all associated and related equipment such as generators, turbines, boilers, condensers, electrostatic precipitators, controls and instrumentation, Railway Sidings, coal handling system, ash handling system, ash pond, raw water supply and treatment system, DM water plant, secondary

fuel oil storage facilities and its handling system, switch yard including step up transformers, service transformers, auxiliary unit transformers circuit breakers, HT & LT Switchgears, control and protection system, overhead cranes, chimney, Stores, spare parts, consumables, raw materials etc. and works in progress.

- B. Birsingpur Station with 4 generating units of 210 MW capacity each with all associated and related equipment such as generators, turbines, boilers, condensers, electrostatic precipitators, controls and instrumentation, Railway Sidings, coal handling system, ash handling system, ash pond, raw water supply and treatment system, DM water plant, secondary fuel oil storage facilities and its handling system, switch yard including step up transformers, service transformers, auxiliary unit transformers circuit breakers, HT & LT Switchgears, control and protection system, overhead cranes, chimney, Stores, spare parts, consumables, raw materials etc. and works in progress.
- C. Amarkantak Station with 1 x 30 MW, 1 x 20 MW and 2 x 120 MW and with all associated and related equipment such as generators, turbines, boilers, condensers, electrostatic precipitators, controls and instrumentation, Railway Sidings, coal handling system, ash handling system, ash pond, raw water supply and treatment system, DM water plant, secondary fuel oil storage facilities and its handling system, switch yard including step up transformers, service transformers, auxiliary unit transformers circuit breakers, HT & LT Switchgears, control and protection system, overhead cranes, chimney, Stores, spare parts, consumables, raw materials etc. and works in progress.

HYDEL POWER STATIONS:

- (a) Bansagar -PH-II (Silpani Station): Penstocks at the intake structure, penstock gates, draft tube gate, tail race channel, power house with 2 units of 15 MW capacity each along with generators, turbines and all associated and related equipment and switch yard including step up transformers, step down transformers, circuit breakers, control and protection system, overhead cranes, gantry cranes, hydraulic hoists, power house stores, spare parts, consumables, raw materials etc. and works in progress.
- (b) Bargi Station: Penstocks at the intake structure, penstock gates, draft tube gate, tail race channel, power house with 2 units of 45 MW capacity each along with generators, turbines and all associated and related equipment and switch yard including step up transformers, step down transformers, circuit breakers, control and protection system, overhead cranes, gantry cranes, hydraulic hoists, power house stores, spare parts, consumables, raw materials etc. and works in progress.
- (c) Bansagar PH-I & PH III Station: Penstocks at the intake structure, penstock gates, draft tube gate, tail race channel, power house with 3 units of 105 MW capacity each (Bansagar PH-I, Tons Hydel Power Station) and 3 units of 20 MW each (Bansagar PH-III, Deolond) along with generators, turbines and all associated and related equipment and switch yard including step up transformers, step down transformers, circuit breakers, control and protection

system, overhead cranes, gantry cranes, hydraulic hoists, power house stores, spare parts, consumables, raw materials etc. and works in progress.

- (d) **Birainghpur Station:** Penstocks at the intake structure, penstock gates, draft tube gate, tail race channel, power house with 1 unit of 20 MW capacity each along with generators, turbines and all associated and related equipment and switch yard including step up transformers, step down transformers, circuit breakers, control and protection system, overhead cranes, gantry cranes, hydraulic hoists, power house stores, spare parts, consumables, raw materials etc. and works in progress.

SHARED GENERATING STATIONS

- (a) **SATPURA THERMAL POWER STATION** (an interstate project shared between Madhya Pradesh and Rajasthan) with 60% share of Madhya Pradesh having five units of 62.5 MW capacity each along with all associated and related equipment such as generators, turbines, boilers, auxiliary units with controls and instrumentation, Railway Sidings coal handling system, ash handling system, ash pond, raw water supply and treatment system, cooling towers, secondary fuel oil storage facilities and its handling system and switch yard including step up transformers, step down transformers, circuit breakers, control and protection system, overhead cranes, stores, spare parts, consumables, raw materials etc. and, works in progress.
- (b) **CHAMBAL COMPLEX:** (an interstate project shared between Madhya Pradesh and Rajasthan) with 50% share of Madhya Pradesh, with 50% share of Rajasthan, on cost and benefits with 5 units of 23 MW of Gandhi Sagar, 4 units of 43 MW of Rana Pratap Sagar and 3 units of 33 MW of Jawahar Sagar. All assets are owned by both the Electricity Boards in the same ratio. O&M expenses are being met by both the Electricity Boards and sharing the power benefits based on their share.
- (c) **Pench Station¹** Penstocks at the intake structure, penstock gates, draft tube gate, tail race channel, power house with 2 units of 80 MW capacity each along with generators, turbines and all associated and related equipment and switch yard including step up transformers, step down transformers, circuit breakers, control and protection system, pen stock and draft tube gates, overhead cranes, gantry cranes, hydraulic hoists, power house stores, spare parts, consumables, raw materials etc. and works in progress.
- (d) **Rajghat Station²** Penstocks at the intake structure, penstock gates, draft tube gate, tail race channel, power house with 3 units of 15 MW capacity each

¹ This plant is located in Madhya Pradesh & 2/3 rd share belongs to MPSEB, which shall be transferred to the Generating Company.

² This plant is located in Uttar Pradesh & 50% share belongs to MPSEB, which shall be transferred to the Generating Company.

along with generators, turbines and all associated and related equipment and switch yard including step up transformers, step down transformers, circuit breakers, control and protection system, pen stock and draft tube gates, overhead cranes, gantry cranes, hydraulic hoists, power house stores, spare parts, consumables, raw materials etc. and works in progress.

II. POWER PROJECTS UNDER CONSTRUCTION:

- (a) Bansagar Hydel Power Station PH-IV(2x10MW)
- (b) Madikheda Hydel Power Station (2x20+1x20 MW)
- (c) Proposed SGTPS, Birsinghpur Extension (500 MW)

III. GENERAL ASSETS:

- (a) The following, if they exclusively or primarily pertain to the generating stations or projects referred to in Paras I and II above or activities related to such generating stations or projects:

Special tools and equipment, material handling equipment, earth movers, bulldozers, concrete mixtures, cranes, trailers, heavy and light vehicles, furniture, fixtures, office equipment, air conditioners, refrigerators, computers and signal systems, spares, consumables, raw materials, lands and civil works installations including dams, barrages, canals roads, buildings, staff quarters, rest houses, properties and structures and their associated buildings, schools, dispensaries, testing laboratories and equipment, training centers, workshops, works in progress, machinery and equipment sent for repairs, scraps and obsolete.

- (b) The office establishment and other buildings and lands, not covered elsewhere in this schedule, which are predominantly occupied/used for the activities of Generation Undertakings as on the effective date of transfer.

IV. MISCELLANEOUS:

- (1) Contracts, agreements, interest and arrangements to the extent they are associated with or related to Generation activities or to the Undertakings or assets referred to in Para I to III above.
- (2) Loans, secured and unsecured to the extent they are associated with or related to Generation activities or to the Undertakings or assets referred to in Para I to III above.
- (3) Other current assets to the extent they are associated with or related to Generation activities or to the Undertakings or assets referred to in Para I to III above.
- (4) Other Current liabilities and provisions to the extent they are associated with or related to Generation activities or the Undertakings or Assets referred to in Para I to III above.

- (5) Contingent liabilities to the extent they are recognised and are associated with or related to Generation activities or to the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.
- (6) Other liabilities to the extent they are associated with or related to Generation activities or to the Undertakings or Assets referred to in Para I to III above.
- (7) Proceedings to the extent they are associated with or related to Generation activities or to the Undertakings or Assets referred to in Para I to III above.

V. GENERAL:

- (1) The assets of the generating undertaking shall vest in GENCO.
- (2) The State Government shall before the end of the provisional period mentioned in Rule 10 allocate the liabilities of MPSEB to GENCO to the extent and in such a manner, as the State Government may deem proper.
- (3) In consideration of the transfer mentioned above, the State Government may, direct GENCO to issue instruments such as equity shares, preference shares, debentures and other securities in favour of the State Government or in other Company as the State Government may direct taking into account the assets and liabilities transferred from MPSEB to GENCO.

SCHEDULE - 'B'

TRANSMISSION UNDERTAKING

The transmission undertaking shall comprise of all Assets, Liabilities and proceedings, including the following but not limited to them, belonging to the Madhya Pradesh State Electricity Board, concerning the transmission of electricity -

I. TRANSMISSION ASSETS:

All the transmission lines having the capacity to carry electricity at voltages of 66 kV and above (not withstanding the same are presently charged at voltages below 66 kV) on double circuit/single circuit/ single circuit on double circuit towers with Grid sub-stations of various capacities with all associated and related equipment, including step-up, step-down transformers, circuit breakers, metering arrangements and other protective devices with power-line communication system, allied control rooms, load dispatch center, lands (including right of way), buildings, roads and other auxiliary assets spread over within and outside the territory of the State including such assets under construction and assets acquired, transferred or rights of which were vested with the Board by transfer, sale, lease or otherwise, but excluding such constructions or installations lawfully owned and operated by others.

In addition to the above, the 33 kV and below distribution system which are in the 66 kV and above Grid Sub-stations and are integral part of the transformation from 66 kV and above voltages to 33 kV and below voltages shall be part of the transmission system.

and they shall not form part of the distribution undertakings notwithstanding anything contained in any other schedule.

II. GENERAL ASSETS.

- (a) The following, if they exclusively or primarily pertain to the above mentioned transmission systems properties or projects or activities related to such transmission systems, properties or projects:

Special tools and equipment, material handling equipment, earth movers, bulldozers, concrete mixtures, cranes, trailers, heavy and light vehicles, furniture, fixtures, office equipment, air conditioners, refrigerators, computers and signal systems, spares, consumables, raw materials, lands and civil works installations including roads, buildings, staff quarters, rest houses, properties and structures and their associated buildings, schools, dispensaries, testing laboratories and equipment, training centers, workshops, works in progress, machinery and equipment sent for repairs, scraps and obsolete.

- (b) The following pertaining to the shared Sub-stations to the extent of rights which vested in the Board.

Special tools and equipment, material handling equipment, earth movers, bulldozers, concrete mixtures, cranes, trailers, heavy and light vehicles, furniture, fixtures, office equipment, air conditioners, refrigerators, computers and signal systems, spares, consumables, raw materials, lands and civil works installations including roads, buildings, staff quarters, rest houses, properties and structures and their associated buildings, schools, dispensaries, testing laboratories and equipment, training centers, workshops, works in progress, machinery and equipment sent for repairs, scraps and obsolete.

- (c) All independent and stand-alone Rest houses, which are not part of any substations/installations of the Board.

- (d) The office establishment and other buildings and lands, not covered elsewhere in this schedule, which are predominantly occupied/used for the activities of Transmission Undertakings as on the effective date of transfer.

III. MISCELLANEOUS:

- (1) Contracts, agreements, interest and arrangements to the extent they are associated with or related to transmission activities or to the Undertakings or assets referred to in Paras I, and II above.
- (2) Loans, secured and unsecured to the extent they are associated with or related to transmission activities or to the Undertakings or assets referred to in Paras I and II above.
- (3) Other Current Assets to the extent they are associated with or related to transmission activities or to the Undertakings or assets referred to in Paras I and II above.

- (4) Other Current liabilities and provisions to the extent they are associated with or related to transmission activities or the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.
- (5) Contingent liabilities to the extent they are recognised and are associated with or related to transmission activities or to the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.
- (6) Other liabilities to the extent they are associated with or related to transmission activities or to the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.
- (7) Proceedings to the extent they are associated with or related to transmission activities or to the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.

IV. GENERAL:

- (1) The assets of the transmission undertaking shall vest in TRANSCO.
- (2) The State Government shall before the end of the provisional period mentioned in Rule 10 allocate the liabilities of MPSED to TRANSCO to the extent and in such a manner, as the State Government may deem proper.
- (3) In consideration of the transfer mentioned above, the State Government may, direct TRANSCO to issue instruments such as equity shares, preference shares, debentures and other securities in favour of the State Government or in other Company as the State Government may direct taking into account the assets and liabilities transferred from MPSEB to TRANSCO.

SCHEDULE - 'C'

DISTRIBUTION UNDERTAKING OF DISCOM 1

The Distribution Undertaking of DISCOM 1 shall comprise generally of all the Assets, Liabilities and proceedings, including the following but not limited to them, belonging to the Board, concerning the distribution of electricity in the area of supply consisting of Commissionerates of Jabalpur, Rewa, and Segar of the State of Madhya Pradesh,:-

I. DISTRIBUTION ASSETS:

All 33 kV, 11 kV, LT. (Single phase 2 wire to 3 phase 5 wire) lines (with overhead lines, Aerial Bunched cables and underground cables) and Sub-stations on different types of supports with various sizes of conductors and step up/step down transformers, breakers, protective and metering devices and control rooms, testing laboratories, lands (including right of way), buildings, roads, diesel generating sets or other conventional and non-conventional generating units, service connections and installations inside consumer's premises, street lighting and signal systems owned by or leased to the Board but excluding fittings, fixtures and installations owned, by private persons or local authorities, including any of the above assets under construction as on effective date of transfer.

II. GENERAL ASSETS:

The following, if they exclusively or primarily pertain to the above mentioned distribution systems, properties or projects or activities related to such distribution systems, properties or projects:

Special tools and equipment, material handling equipment, earth movers, bulldozers, concrete mixtures, cranes, trailers, heavy and light vehicles, furniture, fixtures, office equipment, air conditioners, refrigerators, computers and signal systems, spares, consumables, raw materials, lands and civil works installations including roads, buildings, staff quarters, rest houses, properties and structures and their associated buildings, schools, dispensaries, testing laboratories and equipment, training centers, workshops, works in progress, machinery and equipment sent for repairs, scraps and obsolete.

The office establishment and other buildings and lands, not covered elsewhere in this schedule, which are predominantly occupied/used for the activities of Distribution Undertaking of Discom 1 as on the effective date of transfer.

III. MISCELLANEOUS:

- (1) Contracts, agreements, interest and arrangements to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or assets referred to in Paras I and II above.
- (2) Loans, secured and unsecured to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or assets referred to in Paras I and II above.
- (3) Other Current Assets to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or assets referred to in Paras I and II above.
- (4) Other Current liabilities and provisions to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.
- (5) Contingent liabilities to the extent they are recognized and are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.
- (6) Other liabilities to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.
- (7) Proceedings to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.

IV. GENERAL:

- (1) The assets of the distribution undertaking shall vest in DISCOM 1.

- (2) The State Government shall before the end of the provisional period mentioned in Rule 10 allocate the liabilities of MPSEB to DISCOM 1 to the extent and in such a manner as the State Government may deem proper.
- (3) In consideration of the transfer mentioned above, the State Government may, direct DISCOM 1 to issue instruments such as equity shares, preference shares, debentures and other securities in favour of the State Government or in other Company as the State Government may direct taking into account the assets and liabilities transferred from MPSEB to DISCOM 1.

SCHEDULE 'D'

DISTRIBUTION UNDERTAKING OF DISCOM 2

The Distribution Undertaking of DISCOM 2 shall comprise generally of all the Assets, Liabilities and proceedings, including the following but not limited to them, belonging to the Board, concerning the distribution of electricity in the area of supply consisting of Commissioneries of Dhopal, Hoshangabad, Chambal and Gwalior of the State of Madhya Pradesh:-

I. DISTRIBUTION ASSETS:

All 33 kV, 11 kV, LT. (Single phase 2 wire to 3 phase 5 wire) lines (with overhead lines, Aerial Bunched cables and underground cables) and Sub-stations on different types of supports with various sizes of conductors and step up/step down transformers, breakers, protective and metering devices and control rooms, testing laboratories, lands (including right of way), buildings, roads, diesel generating sets or other conventional and non-conventional generating units, service connections and installations inside consumer's premises, street lighting and signal systems owned by or leased to the Board but excluding fittings, fixtures and installations owned, by private persons or local authorities, including any of the above assets under construction as on effective date of transfer.

II. GENERAL ASSETS:

The following, if they exclusively or primarily pertain to the above mentioned distribution systems, properties or projects or activities related to such distribution systems, properties or projects:

Special tools and equipment, material handling equipment, earth movers, bulldozers, concrete mixtures, cranes, trailers, heavy and light vehicles, furniture, fixtures, office equipment, air conditioners, refrigerators, computers and signal systems, spares, consumables, raw materials, lands and civil works installations including roads, buildings, staff quarters, rest houses, properties and structures and their associated buildings, schools, dispensaries, testing laboratories and equipment, training centers, workshops, works in progress, machinery and equipment sent for repairs, scraps and obsolete.

The office establishment and other buildings and lands, not covered elsewhere in this schedule, which are predominantly occupied/used for the activities of Distribution Undertaking of Discom 2 as on the effective date of transfer.

III. MISCELLANEOUS:

- (1) Contracts, agreements, interest and arrangements to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or assets referred to in Paras I and II above
- (2) Loans, secured and unsecured to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or assets referred to in Paras I and II above.
- (3) Other Current Assets to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or assets referred to in Paras I and II above.
- (4) Other Current liabilities and provisions to the extent they are associated with or related to distribution activities or the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.
- (5) Contingent liabilities to the extent they are recognized and are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.
- (6) Other liabilities to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.
- (7) Proceedings to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.

IV. GENERAL:

- (1) The assets of the distribution undertaking shall vest in DISCOM 2.
- (2) The State Government shall before the end of the provisional period mentioned in Rule 10 allocate the liabilities of MPSEB to DISCOM 2 to the extent and in such a manner as the State Government may deem proper.
- (3) In consideration of the transfer mentioned above, the State Government may, direct DISCOM 2 to issue instruments such as equity shares, preference shares, debentures and other securities in favour of the State Government or in other Company as the State Government may direct taking into account the assets and liabilities transferred from MPSEB to DISCOM 2.

SCHEDULE - 'E'**DISTRIBUTION UNDERTAKING of DISCOM 3**

The Distribution Undertaking of DISCOM 3 shall comprise generally of all the Assets, Liabilities and proceedings, including the following but not limited to them, belonging to the Board, concerning the distribution of electricity in the area of supply consisting of Commissioneries of Indore and Ujjain of the State of Madhya Pradesh,:-

I. DISTRIBUTION ASSETS:

All 33 kV, 11 kV, LT. (Single phase 2 wire to 3 phase 5 wire) lines (with overhead lines, Aerial Bunched cables and underground cables) and Sub-stations on different types of supports with various sizes of conductors and step up/step down transformers, breakers, protective and metering devices and control rooms, testing laboratories, lands (including right of way), buildings, roads, diesel generating sets or other conventional and non-conventional generating units, service connections and installations inside consumer's premises, street lighting and signal systems owned by or leased to the Board but excluding fittings, fixtures and installations owned, by private persons or local authorities, including any of the above assets under construction as on effective date of transfer.

II. GENERAL ASSETS:

The following, if they exclusively or primarily pertain to the above mentioned distribution systems, properties or projects or activities related to such distribution systems, properties or projects:

Special tools and equipment, material handling equipment, earth movers, bulldozers, concrete mixtures, cranes, trailers, heavy and light vehicles, furniture, fixtures, office equipment, air conditioners, refrigerators, computers and signal systems, spares, consumables, raw materials, lands and civil works installations including roads, buildings, staff quarters, rest houses, properties and structures and their associated buildings, schools, dispensaries, testing laboratories and equipment, training centers, workshops, works in progress, machinery and equipment sent for repairs, scraps and obsolete.

The office establishment and other buildings and lands, not covered elsewhere in this schedule, which are predominantly occupied/used for the activities of Distribution Undertaking of Discom 3 as on the effective date of transfer.

III. MISCELLANEOUS:

- (1) Contracts, agreements, interest and arrangements to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or assets referred to in Paras I and II above.

- (2) Loans, secured and unsecured to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or assets referred to in Paras I and II above.
- (3) Other Current Assets to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or assets referred to in Paras I and II above.
- (4) Other Current liabilities and provisions, to the extent they are associated with or related to distribution activities or the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.
- (5) Contingent liabilities to the extent they are recognized and are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.
- (6) Other liabilities to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.
- (7) Proceedings to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.

IV. GENERAL:

- (1) The assets of the distribution undertaking shall vest in DISCOM 3.
- (2) The State Government shall before the end of the provisional period mentioned in Rule 10 allocate the liabilities of MPSEB to DISCOM 3 to the extent and in such a manner as the State Government may deem proper.
- (3) In consideration of the transfer mentioned above, the State Government may, direct DISCOM 3 to issue instruments such as equity shares, preference shares, debentures and other securities in favour of the State Government or in other Company as the State Government may direct taking into account the assets and liabilities transferred from MPSEB to DISCOM 3.

SCHEDULE 'F'

FUNCTIONS AND UNDERTAKINGS RETAINED IN MPSEB

- (1) The bulk purchase and bulk supply functions, namely, purchase of electricity in bulk from the generating companies including GENCO and supply of electricity in bulk to the DISCOMS. MPSEB will not, however, undertake the activity of supply of electricity to any consumer in the State of Madhya Pradesh from such date as the State Government may direct in this behalf.
- (2) The liabilities to the extent to be retained as per the direction the State Government may issue in this behalf.

- (3) The assets in the form of amounts, which the State Government may direct as payable by the transferee to MPSEB to the extent and in the manner as the State Government may consider appropriate to compensate MPSEB for the liabilities retained as per Clause (2) above.
- (4) Cash & Bank Balance to be retained and shall be given to the transferees to the extent they are associated with or related to them, or as per the direction the State Government may issue in this behalf.
- (5) Fixed Deposits lying with State Bank of India being the amount taken as security deposit from Independent power producers